# वन अधिकार अधिनियम 2006

## संघर्ष का एक हथियार

भारतीय संसद में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवास (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पारित होना और उसके बाद, देरी से ही सही, अधिसूचति किया जाना देश के आदिवासियों और अन्य वन निवासियों के कठिन एवं दीर्घकालिक संघर्ष में एक युगांतरकारी घटना है। भारतीय वनों के इतिहास में पहली बार राज्य ने औपचारिक तौर पर से यह स्वीकार किया है कि लम्बे समय तक वनों में रहने वालों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और नया वन अधिनियम न सिर्फ उस 'ऐतिहासिक अन्याय' को दूर करने की कोशिश करता है बल्कि वन प्रबंधन में वन समुदायों की भूमिका को प्रमुखता भी देता है।

यह अधिनियम कैसे बना? राज्य ने हमेशा 'सर्वोपरि अधिकार' के सिद्धांत (इसका मतलब है कि राज्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का मालिक है और उन पर जनता का कोई मालिकाना हक नहीं है) का सख्ती से पालन किया और वन जनों की न्यायोचित माँगों की उपेक्षा की। वही राज्य आज क्योंकर जनाधिकारों के प्रति व संवेदनशील हो गया है? क्यों उसने यह बात मान ली कि वनों पर लोगों के कुछ अधिकार हैं? जबकि 1850 ई. के बाद उपनिवेशकारों द्वारा वनों पर कब्जा कर लिये जाने के समय से अब तक जितनी भी नीतियाँ और कानून बने, उनका उद्देश्य वन जनों को जंगलों से बाहर निकाल देना ही था – पहले जंगलों को व्यावसायिक रूप से उत्पादक बनाने के लिए और बाद में वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए।

अधिनियम कौन–सी नयी बातें कहता है? ठीक–ठीक 'कैसे' वे बातें कही गयी हैं? भारत के जो करोड़ों वंचित और शोषित वनज न आज भी वन एवं वन्य जीव संरक्षण और विकास परियोजनाओं की सुविधा के लिए अपने घरों और जमीनों से बर्बरतापूर्वक बेदखल किये जा रहे हैं, उनके लिए इस अधिनियम का वास्तव में क्या महत्व है?

हमें इस देश के वन आन्दोलनों को, जो कई वर्षों से एक नया वन कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए अभियान चला रहे हैं, किस रूप में इस अधिनियम को देखना चाहिए जो उनके प्रयासों से संयुक्त संसदीय कमिटी द्वारा बनाये गये अधिनियम की एक छाया मात्र है? क्या हम इसे अपूर्ण और नाकाफी तथा राज्य द्वारा विश्वासघात मानते हुए सीधे ठुकरा दें? क्या हम इसे संदेह और अविश्वास की नजरों से देखते हैं क्योंकि राजनैतिक दलों और विश्व बैंक ने इसका समर्थन किया है, और क्या भारतीय वनों के निजीकरण के लिए छद्म रूप से किया जा रहा एक प्रयास मान कर इसे ठुकरा दें?

इसके विकल्प में, क्या हम एक सकारात्मक रवैया अपनायें और देखें कि कैसे यह अधिनियम हमारे संषर्घ के लिए फायदेमंद हो सकता है और उसे जोरदार बनाकर आगे ले जा सकता है?

ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें अपने खुद के संगठनों में, वनों में समुदायों के साथ और आपस में चर्चा करने की जरूरत है। हो सकता है कि यह छोटी-सी पुस्तिका इन प्रश्नों का उत्तर हमें न दे, क्योंकि भारत में वनों पर नियंत्रण के प्रश्न को तय करने वाली राजनैतिक प्रक्रिया की रूपरेखा अभी-अभी उभर कर आ रही है। वक्त और हमारे संघर्षों की प्रक्रिया से कई बातें और भी स्पष्ट होंगी। यहीं हमने सिर्फ अभी उपलब्ध रूप में अधिनियम को पेश किया है। हम देखें कि हम कैसे जमीन पर अपने संघर्षों के संदर्भ और हित में इसकी धाराओं की व्याख्या कर सकते हैं।

एक बात बिल्कुल साफ है। चाहे अधिनियम जितने भी अच्छे इरादे से बनया गया हो, यह खुद से कोई समाधान नहीं कर सकता है, सिर्फ अधिनियम के रहने भर से राज्य चाँदी की तश्तरी पर सजाकर लोगों को वनों पर अधिकार सौंपने नहीं जा रहा है। वन विभाग और इसका उत्पीड़न नौकरशाही तंत्र और लकड़ी माफिया जैसे उसके दोस्त यूँ ही गायब नहीं हो जायेंगे, और न ही लोगों को वास्तव में कुछ अधिकार मिलने से बड़े संरक्षणवादी एन.जी.ओ. संगठन हल्ला मचाना छोड़ देंगे। विकास का संकट बना रहेगा और हमेशा की तरह बाँधों, कारखानों, सड़कों और खदानों के लिए वनों और जनों का विनाश होता रहेगा। जब तक हमारे संघर्षों में अधिनियम को असरदार बनाने और उसे एक हथियार में बदलने लायक दम नहीं रहेगा तब तक सिर्फ अधिनियम होने मात्र से कुछ नहीं बदलेगा। हम यहाँ यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह सब किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले आइए हम इस नये अधिनियम के ऐतिहासिक और राजनैतिक संदर्भ पर एक नजर डालें :-

## कैसे उन लोगों ने जंगलों और वन जनों का दम घोंटा?

जब अंग्रेजों ने 250 साल पहले भारत पर आक्रमण किया तब उन्होंने इस उपमहादेश पर वनस्पति की ऐसी विविधतापूर्ण पच्चीकारी देखी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य निर्माणों के प्रयासों और अंग्रेज शासन के प्रथम सौ वर्षों के दौरान भारत के आधे जंगल लूट लिये गये। इस लूट में हासिल लकड़ियों का इस्तेमाल दोनों भारत और इंगलैंड में रेलवे और नये-पुराने जहाज निर्माणों के लिए किया गया। जंगल कटने से बनी जमीन और जंगलों के बड़े-बड़े हिस्सों की बंदोबस्ती गोरे बागान (चाय, कॉफी, नील और गन्ना) मालिकों और देशी जमींदारों के नाम की गयी।

1864 में अंग्रेज साम्राज्य (शाही वन सेवा) के लिए प्रथम वन प्रशासन का गठन किया गया। 1868 और 1878 में भारत के लिए क्रमशः पहली वन नीति और वन कानून बनाया गया जिसके द्वारा किये गये कई कामों में एक था जंगलों से आदिवासी समुदायों को निकाल बाहर

करना और उनको जंगलों का उपयोग करने से रोकना। रानी और साम्राज्य के हित में, अंग्रेजों ने चारागाहों और वनों जैसे 'बंदोबस्त नहीं किये गये' और 'निर्दिष्ट मालिकी रहित' सर्वसामान्य संपत्ति वाले संसाधनों को 'सर्वोपरि अधिकार' (एमिनेंट डोमेन) घोषित किया, जिसका मतलब यह था कि औपनिवेशिक राज्य अपनी इच्छानुसार जंगलों का 'प्रबंध' करेगा। 1878 के भारतीय वन अधिनियम को 1927 में संशोधित किया गया और उसके प्रारंभ से एक के बाद एक वन विभागों ने लोगों को जंगलों से बाहर करने के लिए एक उत्पीड़क साधन के रूप में इस अधिनियम का उपयोग किया। इन अधिनियमों ने सरकार को किसी भी क्षेत्र को आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का इरादा घोषित करने का अधिकार दे दिया, ऐसी घोषणा के बाद एक ''वन बंदोबस्ती अधिकारी'' कथित रूप से (जमीनों, वनोपजों, चारागाहों आदि पर) अधिकारों के दावों की जाँच करता था।

संसाधनों का 'प्रबंधन' (जिसे अंग्रेज वैज्ञानिक वन प्रबंधन कहते थे) उनका मूल मंत्र था। उनका कहना था कि इस मंत्र से भारतीय वन नीति के अनुसार जंगल अधिक समरूप और उत्पापदक होंगे। भारत के वनों की प्रत्येक कार्य योजना (1988 तक) 'समरुपीकरण' के जादूई शब्द से शुरू होती थी। उसके अनुसार, 1864 और 1947 के बीच, अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने तक पहाड़ियों की तलहटियों में कायदे से कतारों में खड़े लंबे शानदार चीड़ के पेड़ों और झाड़-झाड़ियों के बदले साल और सागवान के एकल वृक्षारोपणों के साथ भारतीय वनों को व्यवस्थित रूप में रहना सिखाया गया। दरअसल, जंगलों का प्रबंधन अधिकाधिक भूसंपत्तियों के रूप में होता था और जंगल के अंदर वन ग्राम (प्लांटेश्नों के मजदूरों की नयी बस्तियाँ) बसाये जा रहे थे। बाद में भारतीय वानिकी के पिता, डाइट्रिच ब्रांडिस ने बागवानी की 'टौंगिया' पद्धति विकसित की। इसी से इनमें से कई गाँव 'टौंगिया' कहलाये।

सामाजिक-राजनैतिक दृष्टि से, टौंगिया सहित वनग्रामों का गठन करके अंग्रेजों ने भारत के वन क्षेत्रों में आदिवासी उपद्रव की समस्या का एक अस्थायी समाधान निकाला। इन गाँवों से विस्थापित, झूमियों (झूम खेती करने वाले) के लिए एक प्रकार के 'पुनर्वास' की जगह बनी जहाँ वे पेड़ काट सकते थे और उस जगह को जलाकर खाद्यानों के फसल उगा सकते थे। तब उन किसानों को उस जमीन पर वृक्षरोपण करना था। टौंगिया के प्रारंभिक वर्षों में यह श्रम अनिवार्य रूप से बेगारों के रूप में करना होता था - इसके लिए किसानों को कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके बावजूद, टोंगियाओं ने टौंगिया - पूर्व वन ग्रामों में कुछ सुधार कर दिखाये। उदाहरण के लिए, बंगाल में 1910 से 'स्थायी' वन ग्राम बनने लगे जहाँ आबादकारों ने विभाग के साथ समझौता दस्तावेजों या ब्रांडों पर हस्ताक्षकर किये। इन समझौतों में वन गाँवों के ग्रामीणों के लिए खेती करने के लिए जमीन के अलावा कुछ सुविधाएँ देने की बात कही गयी जैसे घर बनाने के लिए मुफ्त में लकड़ियाँ (टिंबर) और अन्य औजार, जलावन और चारा।

टौंगिया और वनग्रामों के बावजूद, भारत में कहीं भी समुदायों ने अपने वनों की इस हड़प को ~~चुपचाप स्वीकार नहीं किया। लोगों ने अब तक सर्वसामान्य पानी और इस्तेमाल की गयी अपनी~~

भूसंपत्ति पर सरकार या जमींदारों के नियंत्रण पर नाराजगी जतायी। वन-निवासी आदिवासियों के लिए तो यह भूसंपत्ति जीवन, आजीविका और संस्कृति का स्त्रोत थी। वनों पर अपना नियंत्रण और वनाधिकार वापस पने के लिए देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खूनी संघर्ष हुए। छोटा नागपुर में मुंडा विद्रोह और उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में पहाड़ी लोगों के आंदोलनों की तरह कुछ संघर्ष तो इतने प्रचंड थे कि अंगेज उन इलाकों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष कानून के लिए मजबूर हुए। लेकिन अन्य कई इलाकों में कानून का शासन (यानी वन विभाग की जमींदारी) अधिकाधिक सख्त होता गया।

आजाद भारत में वन विभाग ने समरूप वन बनाने का काम जारी रखा, और 1952 की वन नीति ने यह कहते हुए उसको अचित ठहराया कि वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि राष्ट्र की 'सर्वोपरि जरूरतों' की पूर्ति की जा सके। इन जरूरतों को आक्रामक व्यावसायिक वानिकी में बदला गया, और भारत के योजना आयोग और भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमानामें के अनुसार 1988 की नयी वन नीति द्वारा प्राकृतिक वनों की कटाई पर रोग लगाये जाने तक के अगले 38 वर्षों में 170 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्लांटेशन किये गये। वैसे 1988 के बाद भी प्लांटेशन जारी रहे और 8वीं एवं 9वीं 5 वर्षीय योजनाओं के दौर में लगभग 160910 हेक्टेयर के नये प्लांटेशन खड़े किये गये।

1988 की नीति में यह बात कही गयी कि वन प्रबंधन की भावी रणनीतियों और योजनाओं में वन समुदायों की आजीविका और ऊर्जा संबंधी जरूरतों का भी ख्याल रखा जायेगा, फिर भी औद्योगिक एवं शहरी उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार भारत में प्लांटेशन के कार्यक्रम जारी रहे। प्लांटेशन के लिए चुनी गयी पेड़ों की प्रजातियों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 1999 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार 1997 तक वन विभाग ने 150 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन लगाये जिनमें पल्प और टिंबर प्लांटेशनों के बड़े-बड़े खंड शामिल हैं (क्षेत्र की 16 प्रतिशत जमीन पर युकलिप्टस और सागवान के पेड़ लगाये गये)। फर्मों और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के 2 तहत करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर प्लांटेशन लगाये गये।

2000 के ए.आर.ए. आकलन के अनुसार भारत में 3.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्लांटेशन है और योजनाओं के लक्ष्यों को देखा जाये तो 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन लगाये जा रहे हैं। इस तरह वर्ष 2020 तक 650-700 (2000 और 2005 के बीच के 40 लाख जोड़ने से) लाख हेक्टेयर के प्लांटेशन होते हैं जो विश्व के कुल प्लांटेशन का 36 प्रतिशत होता है। जैसे कि अपेक्षा की जा सकती है, भारत सरकार लागतों को चुकाने के लए विश्व बैंक की पीपीपी (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में साझेदारी) फार्मूले की वकालत करती है, इसका मतलब यह होता है कि राज्य संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से जुटाये गये उपभोक्ता समुदायों की आरे से कंपनियों (या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं) के साथ अनुबंध करेगा। आंध्र प्रदेश में ऐसे प्रयोग किये जा चुके हैं, जहां तमाम समुदायों को उनकी जमीनों से

(सरकार के अनुसार अतिक्रमित जमीनों से) खदेड़ दिया गया। भारत में मजबूत पेपर/पल्प लॉबी ने माँग की कि 'अवकृष्ट' वन भूमियाँ कंपनियों को लीज पर दी जायें ताकि वे उन पर 'संरक्षित' प्लांटेशन खड़े कर सकें और वे तात्कालिक रूप से 16 लाख हेक्टेयर की 'थोड़ी सी' जमीन माँग रहे हैं। सरकारी एजेंसियों ने अपनी कई सिफारिशों और रिपोर्टों में कहा है कि ऐसे कदम उठाने से वन समुदायों पर खराब प्रभाव पड़ेंगे, फिर भी यह सब हो रहा है।

एक तरफ प्लांटेशन बढे और चारों तरफ देश में छा गये, और दूसरी तरफ भारत में मूल प्लांटेशन मजदूर, वन ग्रामों में ग्रामीण, तमाम विशेष सुविधाओं और अधिकारों से वंचित होकर झुग्गी-झोंपड़ियों में दुःख-तकलीफ झेल रहे हैं। वानिकी पूरी तरह पूंजी सघन हो गयी है और मशीनों से होती है, और देश में वन प्रबंधन की कार्य पद्धतियों में बड़ी शेखी बघारते हुए जैव विविधता के संरक्षण के पक्ष में एक बदलाव लाया गया है और इस तरह वन श्रमिकों का महत्व घट गया है। वन ग्रामीणों के लिए इसका मतलब होता है लगातार बेरोजगारी और अकथनीय आर्थिक दिक्कतें और तंगहाली। ग्रामीणों को न तो विभिन्न विकास योजनाओं या बैंक ऋणों का लाभ मिलता है और न ही उनकी अपनी कृषि भूमियों या वासभूमि पर मालिकाना हक मिलते हैं। कई इलाकों में वन विभाग ने उनको बेदखल करने की धमकी दे रखी है।

दरअसल देश की स्वाधीनता के समय से वनों में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों का जीवन अधिक कष्टमय हो गया है। नये राज्य ने पुराने औपनिवेशिक वन कानून को और अधिक निष्ठुर बना दिया है, लोगों को वनों पर अधिकारों को सीमित कर दिया है। इस बीच उत्पादन वानिकी के नाम पर, प्राकृतिक वनों की कटाई जारी रही, जंगल गायब होते गये और अधिकारिक भ्रष्ट होते वन प्रशासन के साथ व्यापारियों और ठेकेदारों की एक नयी नस्ल की साँठगाँठ से 'वन माफिया' का राज शुरू हो गया हैं वनों की अधिकृत/अनाधिकृत लूट से परंपरागत सुदायों की परिस्थितिकी नष्ट हो गयी है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से मजबूर होकर लोग उसी वन माफिया के तहत मजदूर बन गये हैं और इस प्रकार देश के वन जनों के सर्वहाराकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

## बेदखलियाँ

1947 में भारत राजनैतिक रूप से आजाद होने के समय से सरंक्षित क्षेत्रों और बड़े बांधों, खादानों, उद्योगों, सड़कों और सैनिक छावनियों जैसी विकास परियोजनाओं से देश में करोड़ों लोग विस्थापित हुए। योजना आयोग के अनुमान के मुताबिक 1951 और 1990 के बीच विकास परियोजनाओं द्वारा ही 2.13 करोड़ लोग विस्थापित हुए। नये संरक्षित क्षेत्र बनाने और वनों में अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में वन विभाग ने कितने लोगों को बेदखल किये उसके आँकड़े उपलब्ध नहीं है। विभिन्न आंदोलनकारी समूहों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में लगभग 3 लाख परिवार बेदखल किये गये। उनका कोई पुनर्वास नहीं किया गया और सीभी उम्र के लोगों को

उनके घरों, जंगलों और कृषि भूमि से खदेड़ दिया गया ताकि प्लांटेशनों और वन्यजीव क्षेत्रों के लिए जगह बनायी जा सके।

इसके अलावा, 1988 की नयी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत भूभाग को वनों के अंतर्गत लाने की जरूरत थी और तब तक भारत के वनों का आधा से ज्यादा काट-कूटर कर ढेर लगाये हुए (1951 और 1979 के बीच 33 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक वनों को काट डाला गया ताकि ''औद्योगिक'' प्लांटेशन लगाने के लिए जगह बन सके) वन विभाग के नये 'संरक्षणवादी' अवतार ने 33% की इस जरूरत को पूरा करने की चुनौती स्वीकार की। वनों की कटाई के पीछे विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों का आकलन करने के बदले, विभाग ने 'अतिक्रमण' का आसान तर्क सामने रखा, मानो गुजारे की खेती के लिए वन भूमि पर रहने और वन भूमि का उपयोग करने वाले भूमिहीन समुदायों को बेदखल करने भर से एक चमत्कार की तरह देश में वनाच्छादन बढ़ जायेगा। संरक्षण का भारी-भरकम कार्यक्रम चल निकला। बड़े पैमाने पर बेदखलियाँ शुरू की गयीं, और न तो भारत सरकार और न ही संरक्षणवाणी एन.जी.ओ. संगठनों ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पहले ही औपनिवेशिक सरकार अधिकारों की कोई बंदोबस्ती किये बिना वन समुदायों से भारत के वनों का अधिकतम हिस्सा छीन चुकी थी, और असली और सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी तो वन विभाग खुद है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार यह अनवार्य है कि किसी भी इलाके को सरकारी वन घोषित करने से पहले अधिकारों की बंदोबस्ती की जाये, लेकिन ऐसी बंदोबस्ती बहुत से इलाकों में कभी की ही नहीं गयी, और अन्य कई जगहों में तो सर्वेक्षण अधूरे ही रहे।

जिन लोगों के अधिकार दर्ज नहीं किये गये, उनको बिल्कुल 'राज्य की जमीन' पर बसा हुआ माना गया, जहाँ उनके साथ घुसपैठियों, अतिक्रमणकारियों और जंगल और वन्य जीवों के दुश्मन जैसा व्यववहार किया गया। सरकार के लिए तो उनके खिलाफ की यी किसी भी उत्पीड़क कार्यवाई को उचित ठहराने की जरूरत नहीं है; मार-पीठ, यौन प्रहार और हत्याएं भी आम हो गयी हैं। भारत में वनों से बेदखलियों निदर्शनात्मक बर्बरता के साथ की गयी है। टाइगर टास्क फोर्स (विभिन्न बाघ आरक्षण क्षेत्रों में बाघों की मौतों की जाँच के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित कार्यदल) की हाल-हाल (2005) की रिपोर्ट ने बेदखलियों की इस स्थिति का वर्णन यह कहते हुए किया कि ''हालात सचमुच एक गश्हयुद्ध की तरह थे, आरक्षित क्षेत्रों में अंतःस्फोट करते हुए और इस प्रक्रिया में सब कुछ ले जाते हुए।''

उच्चतम न्यायालय ने एक केन्द्रीय सशक्तीकृत कमिटी (सी.ई.सी.) का गठन किया। वन अधिकारियों और पक्के वन प्रेमियों और संरक्षणवादियों को कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया गया। इस लूटमार कमिटी ने झमेले को और बढ़ा दिया। यह कमिटी सारा देश घूमती हुई मनमर्जी बेदखली के आदेश जारी करती रही। उसके आदेशों से पश्चिम बंगाल में जम्बू द्वीप के दक्षिणी सुंदरवन द्वीप पर मछलियों को सुखा रहे लगभग दस हजार मछुवारे श्रमिकों को बेदखल कर दिया गया।

16 अक्टूबर 2003 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर द्वीप पर गये हुए मछुवारे श्रमिकों पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उनके उपकरणों और खाद्य पैकेटों को नष्ट करके समुद्र में फेंक दिया। केरल के वायनाड जिले में मुतंगा वन्यजीव आश्रयणी के अंदर शरण लिये हुए बेगुनाह भूमिहीन आदिवासियों की कत्लेआम के लिए सी.ई.सी. को भी जिम्मेवार ठहराया गया। असम में 10,000 से अधिक परिवार बेदखल किये गये।

वनों की घटती उत्पादकता और वानिकी की गतिविधियों में आये ठहराव के चलते वन क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित लाखों परिवारों की आजीविकाएँ क्रमशः नष्ट हो गयीं, और कई मामलों में भुखमरी से त्रस्त गरीब लोगों को व्यावसायिक लाभों के लिए वनों का नाश कर रही शक्तियों का भी साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए जंगलों की कटाई के लिए वन जनों के जिम्मेवार होने का मिथक खड़े किये गये और सख्त से सख्त वन कानून जैसे सरकार के उपाय किये गये जो लोगों को वनों का उपयोग करने नहीं देते हैं। राज्य, पर्यावरणवादी और मुख्यधारा की पत्र-पत्रिकाएँ बार-बार यह दलील देती हैं कि मनुष्यों और मवेशियों की आबादी का बढ़ना और तथाकथित 'जैव दबाव' देश के जंगलों और जैव विविधता के विनाश के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। लेकिन यह बात भुला दी जाती है कि वन जनों का वनों के साथ एक मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता है जो उनको कभी भी अपनी मर्जी से वनों को दोहन करने और बिगाड़ने नहीं देगा। शहरों के सम्पन्न लोग और राज्य एक तरफ वन जनों को उनके परंपरागत संसाधनों से गुजारा लायक कुछ भी लेने से रोक कर वनों के गैर टिकाऊ और व्यावसायिक उपयोग के लिए मजबूर करते हैं और दूसरी तरफ सघन व्यावसायिक दोहन जारी रखते हैं।

## विधेयक की ओर : लोग एकताबद्ध हुए

बड़े पैमाने पर बेदखलियों को रोकने के लिए आपस में तालमेल रखते हुए आदिवासियों और अन्य वन समुदायों ने उड़ीसा, महाराष्ट, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश के कदम बढ़ाये और लोग अपने-अपने जिला कलक्टरों के कार्यालयों में अपनी जमीनों की मालिकी के दावे हजारों की संख्या में भरने लगे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों में लोगों ने वन विभाग के नियंत्रण में स्थित जमीन हड़पते हुए पलटा कार्रवाई की।

देश के आदिवासी इलाकों में बढ़ते हुए तनाव को ठंडा करने तथा कुछ सुधार करने के लए, तत्कालीन राजग सरकार ने 2004 में दो नये सर्कुलर जारी किये जनमें कहा गया कि 1993 से आदिवासियों द्वारा जोती जा रही जमीनों को वैध किया जायेगा और सभी वन ग्रामों को छः महीनों के अंदर राजस्व ग्रामों में बदला जायेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन पर रोक लगा दी। दिसम्बर 2004 में कुछ और मार्गदर्शी सूत्रों द्वारा ''अपात्र अतिक्रमणकारियों'' को छोड़कर बाकी आदिवासियों की बेदखली को रोका गया (इसका मतलब था कि बेदखलियाँ जारी रहेंगी)। 12 मई 2005 को एक और

मार्गदर्शी सूत्र द्वारा बिना सत्यापन की प्रक्रिया के किसी भी वनजन की बेदखली पर रोक लगायी गयी। 3 नवंबर 2005 को अंतिम मार्गदर्शी सूत्र जारी किये गये जिसने पहली बार अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक ग्राम स्तरीय प्रक्रिया की व्यवस्था की।

वर्तमान सरकार की राजनैतिक मजबूरियों और वन आंदोलनों द्वारा लतार असरदार अभियान और अधिकारियों से बातचीत के फलस्वरूप वन अधिकार विधेयक 2005 बना जिसने वनों पर आदिवासियों के दावों और अधिकारों की बात की और उनकी रक्षा करने का वादा किया। विधेयक में 13 निर्दिष्ट अधिकारों का प्रस्ताव किया गया जो दाययोग्य होंगे लेकिन अन्य संक्राम्य या हस्तांतरणीय नहीं होंगे, जैसे 2.5 हेक्टेयर तक जमीन की मालिकी और वनोपज एवं चराई के अधिकार।

विधेयक पेश होते ही भारतीय 'संरक्षणवादी' गुट उग्र विरोध में खड़ा हो गया और एन.जी.ओ. एवं वनाधिकारी धोखा-धोखा कहकर चिल्लाने लगे। उन्होंने इस आधार पर विधेयक पर आपत्ति की कि इस कानून के बने से जंगल की जमीन आदिवासी परिवारों में बँट जायेगी, वनों की रक्षा मार खायेगी, और वन्य जीव और लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। विधेयक की व्याख्या यह कहकर की गयी कि 'यह भारतीय बाघ का खात्मा' होगा। वन आंदोलनों ने भी विधेयक का यह कहकर विरोध किया कि अधिनियम बहुत ज्यादा अस्पष्ट है और इसके दायरे में सभी गैर-आदिवासी वन जनों को हटा दिया गया है। सरकार को विधेयक को संयुक्त संसदीय कमिटी को सौंपना पड़ा जिसने तीन महीनों तक वन आंदोलनों और 'संरक्षणवादियों' के बयानों को दर्ज करने के बाद विधेयक में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की सिफारिश की। संयुक्त संसदीय कमिटी द्वारा किये गये विधेयक के परिवर्तित रूप से पहले के 1990 के कट-ऑफ वर्ष को दिसम्बर 2005 तक आगे बढ़ा दिया गया; सभी गैर आदिवासी वन जनों को भी शामिल किया गया, संरक्षित इलाकों के रूप में घोषित इलाकों में आदिवासी और पंरपरागत वन जनों के अधिकारों को मान्य किया गया; ऐसे संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया ताकि अधिक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो और भूमि देने की 2.5 हेक्टेयर की सीमा को बढ़ा कर 4 हेक्टेयर कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विहित किया कि ग्राम सभा की सहमति के बिना वनभूमि को हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने संयुक्त संसदीय कमिटी की रिपोर्ट को संसद में रखने से इंकार किया और इंकार का कारण बताया कि चार बड़े मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं : कट-ऑफ तारीख, गैर-आदिवासियों को शामिल करना, ग्रामसभा के अधिकार और हदबंदी का मुद्दा। आदिवासी मामलों का मंत्रालय विधेयक में गैर-आदिवासियों को शमिल नहीं करना चाहता था और वन्य जीव गुट का समर्थन प्राप्त सरकार के कुछ विभाग कट-ऑफ तारीख बदलनान नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से इससे वनों का विनाश होगा। कई महीनों तक आगा-पीछा करने के बाद, सरकार जाहिर तौर पर संयुक्त संसदीय कमिटी की रिपोर्ट पर सहमत हुई और

आखिर 15 दिसंबर 2006 को विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। सरकार की मानसिक तैयारी नहीं होने का यह प्रमाण था कि विधेयक को सदन में संशोधित विधयेक को पारित किया, और राज्यसभा में अंत-अंत किये गये संशोधनों को चुनौती देते हुए लम्बी बहसों के बावजूद आदिवासी मंत्री द्वारा नियमों के बारे में कुछ आश्वासन दिये जाने के बाद राज्यसभा ने 18 दिसम्बर को उसी कटे-फटे विधेयक को पारित कर दिया।

## वन अधिकार अधिनियम : संघर्ष जारी है

लेकिन भारत सरकार अधिनियम को विफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रही। इस तरह से नियमों का मसविदा बनाया गया कि अधिनियम के सकारात्मक पहलू फीके पड़ गये। वन विभाग पहले की तरह वनों पर अपना नियंत्रण कायम रखे रहा और वन अधिकारी खुलेआम अधिनियम की भर्त्सना करते देखे गये। विभाग वन समुदायों को तंग करता रहा, सताता रहा, यातनाएँ देता रहा।

कुछ वन्य जीव एन.जी.ओ. संगठनों ने तो वनाधिकार अधिनियम के खिलाफ एक दुर्भावपूर्ण प्रचार अभियान छेड़ दिया। ये समूह तथा वन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए इच्छुक खनन/कागज उद्योगों के गुट भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि वह अधिनियम को रोक कर रखें और उसे अधिसूचित न करें।

12 महीनों की बेमतलब की देरी के बाद, आखिर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन जन (वनाधिकारों की मान्यता) अधीनियम 2006 को अधिसूचित किया। इन 12 महीनों में देश के विभिन्न वन क्षेत्रों में भारत के वन संसाधनों पर वन जनों के नियंत्रण के विरोधी वन विभाग और बहुत सारी अन्य शक्तियाँ आदिवासियों पर लगातार हमले करती रहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में कई पीढ़ियों से वन क्षत्रों में रह रहे हजारों लोगों ने बेदखली के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष किया। कई मामलों में उनको बर्बरतापूर्वक बेदखल किया गया, उनके गाँव जला दिये गये या बुलडोजरों से ध्वस्त किये गये, लोगों को यातनाएँ दी गयीं, लोग सताये और परेशान किये गये और झूठे मुकदमों में फँसाये गये - और यह सब इसलिए कि उन्होंने वन अधिकारों की माँग की थी।

एक सार्वभौम सरकार के संसद द्वारा पारित कानूनों की कोई परवाह नहीं करते हुए, वन विभाग के मुट्ठीभर नौकरशाह भारतीय वनों के न्यायसंगत मालिकों को सताना जारी रखे रहे। एक तरफ जमीन पर वन अधिकारी किसी वन अधिकार अधिनियम के अस्तित्व को ही नकारते रहे, और दूसरी तरफ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों के वन विभागों को यह चिन्हित करने के लिए मार्गदर्शी सूत्र जारी किय कि अधिनियम में परिभाषित कौन से वे संकटग्रस्त वन्य जीव निवास क्षेत्र हैं जिनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अभी अधिनियम अधिसूचित किया भी नहीं गया था, और

कहीं अधिनियम में विहित अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया चालू भी नहीं की गयी थी और फिर भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सदन में पूरी तरह अवैध अपन मार्गदर्शी सूत्रों को जारी कर दिया। और उसके साथ-साथ कदम बढ़ाते हुए राज्यों के वन विभागों ने 11 राज्यों में वैसे बाघ निवास क्षेत्रों को अधिसूचित किया जहाँ के बारे में उन्होंने दावा किया कि उन क्षेत्रों में वनाधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार लागू नहीं होंगे।

इस आजाद देश के वन समुदाय यह अपेक्षा करते हैं कि वन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना की यह पहेली खत्म हो जायेगी। वे हर जगह के लोगों को आह्वान करते हैं कि वह अधिकारों के लिए जी-जान से लड़े गये और आज भी जारी संघर्ष में वे उनके साथ शामिल होंगे। ईमानदारी से वन अधिकार अधिनियम को लागू करना पड़ेगा और ग्राम सभाओं को पूरी प्रमुखता देनी होगी। राष्ट्रीय वनज न एवं वन श्रमिक मंत्र (एन.एफ.एफ.पी.एफ.डब्ल्यू.) में हम इस अधिनियम का स्वागत करते हुए यह भी सूचित करना चाहते हैं कि अधिनियम के नियम अभी भी अत्यंत अस्पष्ट और अपूर्ण हैं और ये नियम मूल अधिनियम में निहित दोहरे अर्थों को सुधारते नहीं हैं। हम यह भी माँग करते हैं कि संयुक्त संसदीय कमिटी की सिफारिशों को शामिल करने के लिए वन अधिकार अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि देश के सभी असली वन जन इसके अंतर्गत आयें, और सरकारी अधिकारियों की दखलंदाजी से अधिनियम में दिये गये अधिकार किसी भी प्रकार संकट में न पड़ जायें।

## देश के हम वन जनों को क्या फायदा हुआ है? हमने क्या खोया है?

वन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना से भारत के वन समुदायों के संघर्ष ने अब अधिक निर्णयात्मक रूप से एक 'राजनैतिक चरण' में प्रवेश किया है। वन आंदोलनों को लगातार चौकस रहने की जरूरत है, ताकि भारत के वनों के अंदर और चारों तरफ रहने वाले लोगों के विभिन्न नृजातीय एवं आर्थिक समूहों में पददलितों एवं गरीबों को अधिनियम से फायदे और राहत पहुँच सके। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भारत के वनों पर वन समुदायों का सामाजिक नियंत्रण कायम करने के कार्यक्रम पर ग्रहण न लग जाये। इस ग्रहण की आशंका एक तो इस देश के ताकतवर कागज/पल्प उद्योग गुट और विश्व बैंक के अचानक हो रहे संदिग्ध 'समुदायीकरण' से है और दूसरी बात यह सुनिश्चित करना है कि जंगलों पर राज्य के अधिपत्य का खात्मा करने के उत्साह में हम उन ताकतों के हाथों में खेलने न लगें, जो खुद भी गंभीरतापूर्वक वानिकी के क्षेत्र में 'समुदायोन्मुख' कानूनी और नीतिगत सुधारों की वकालत कर रहे हैं। इस प्रकार जनाधिकारों और वन विधेयक के लिए संघर्ष जंगलों के आसन्न कंपनीकरण या निजीकरण विरोधी संघर्ष भी बन जाता है। हालाँकि इस संघर्ष की वास्तविक रूपरेखा अभी तक ठीक से परिभाषित नहीं हुई है, अच्छा होगा कि हम सावधान रहें और अधिनियम के बनने के चलते बनी झूठी सुरक्षा की भावना और खुशी में पड़कर निश्चिंत न हो जायें।

# अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन जन (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

*वनों में रहने वाले जिन अनुसूचित जनजातियों और जंगलों में कई पीढ़ियों से रह रहे अन्य परंपरागत वन जनों के अधिकार दर्ज नहीं किये जा सके हैं, उनके वनाधिकारों और वन भूमि में उनके दखल को मान्यता देने और उनमें वे अधिकार निहित करने के लिए; ऐसे निहित किये गये वनाधिकारों तथा वन भूमि के संबंध में ऐसी मान्यता देने और निहित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के स्वरूप को दर्ज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए।*

**नोटः अधिनियम का नाम यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य और सरकार यह स्वीकार करते हैं कि लोगों (अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत रूप से जंगलों में रहने वाले लोग) के अधिकार हैं, और उन अधिकारों को मान्य करने की जरूरत है। अगली पंक्तियाँ इस बात को और अधिक स्पष्ट करती हैं, और कहती हैं कि अधिनियम उन अधिकारों को 'मान्य करना और निहित करना' चाहता है और अधिनियम हमें बताता है कि कैसे यह किया जा सकता है।**

*चूंकि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनजनों के मान्यता प्राप्त अधिकारों में स्थायित्वपूर्ण उपयोग, जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखने की जिम्मेदारियों और अधिकारों और तद्वारा वनां की सरंक्षण व्यवस्था को मजबूत करना और साथ-साथ वन-निवासी जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन जनों के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।*

**नोटः अधिनियम कहता है कि वन जनों के मान्यता प्राप्त अधिकारों में वनों एवं जैव विविधता का संरक्षण शामिल है, ओर लोगों के जुड़ाव से संरक्षण के प्रयास जोरदार होंगे (अधिनियम लोगों की जिम्मोरी और अधिकार की बात करती है, जिसका अर्थ यह है कि वन निवासी वन संरक्षण के हित में तथा अपनी खाद्य सुरक्षा को कायम रखने के लिए निर्णयात्मक रूप से कार्रवाई कर सकते हैं।**

*और चूंकि औपनिवेशिक काल और स्वाधीन भारत के दौरान राज्य के वनों के समेकन में पुश्तैनी भूमियों और उनके निवास स्थलों पर वन अधिकरों को यथेष्ट मान्यता नहीं दी गयी थी जिसके चलते वनों में रहने वाली जनजातियों और अन्य परंपरागत वन जनों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ हालाँकि लोग वनों की पारिस्थितिकी प्रणालियों के अस्तित्व और टिकाऊपन के अभिन्न अंग हैं।*

**नोटः यह बात स्वतः प्रमाणित है। अधिनियम कहता है कि औपनिवेशिक काल के जमाने से सभी सरकारें वन निवासियों के न्यायोजित अधिकारों को दर्ज करने में विफल रही हैं और इस प्रकार उन्होंने न सिर्फ लोगों को बल्कि वनों को भी खतरे में डाल दिया है।**

*और चूंकि वन निवासी आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन जनों के काश्त-संबंधी और उपलब्धता के अधिकारों की लंबे समय से चली आ रही असुरक्षा से निपटना जरूरी हो गया है। इन लोगों में वे भी शामिल हैं जो राज्य के विकास संबंधी हस्तक्षेपों के कारण अपने निवासों को अन्यत्र ले जाने को मजबूर हुए हैं।*

**नोटः अधिनियम कहता है कि वह दोनों काश्त संबंधी और उपलब्धता के अधिकारों के प्रश्न को संबोधित करता है। इसका मतलब है कि बाँधों, सड़कों, खदानों आदि जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए बेदखल किये गये लोगों सहित वन निवासियों को वनों की उपलब्धता और भू-अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।**

*भारत के गणतंत्र के 57वें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्न प्रकार के अधिनियमित हो -*

# अध्याय - 1

## प्रारंभिक

**1.** (1) *इस अधिनियम को अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य परंपरागत वन जन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम कहा जायेगा।*

(2) *जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवा बाकी पूरा भारत इसके दायरे में आता है।*

(3) *यह केन्द्र सरकार के राजपत्र द्वारा नियुक्त तारीख को लागू होगा।*

**2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा न हो,

(क) *''सामुदायिक वन संसाधन'' का अर्थ है गाँव की परंपरागत या रिवाजी सीमाओं के अंदर रिवाजी सर्वसामान्य वन भूमि या पशुचारी समुदायों के मामले में जमीन का मौसमी उपयोग, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और वैसी आश्रयणियाँ और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं जो समुदाय को इस्तेमाल के लिए परंपरागत रूप से उपलब्ध थे;*

**नोटः अत्यधिक महत्वपूर्ण। यह धारा कहती है कि समुदायों द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग की गयी वनभूमियों को सामुदायिक वन संसाधन माना जायेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भूमि आरक्षित या संरक्षित सरकारी वनों के दायरे में**

आती हो, या आश्रयणियों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे वन्य जीव क्षेत्रों में भी आती हो या नहीं; अब से हम दावा कर सकते हैं कि हमारे गाँवों के पास या चारों तरफ के वन क्षेत्र सामुदायिक वन हैं।

**कार्रवाई की बात** : तख्तियों पर यह लिखकर लगाइए कि यह वन (स्थानीय नाम या वन प्रखंड का नाम लिखिए) एक सामुदायिक वन संसाधन है जिसका प्रबंध फलाना ग्राम सभा करती है।

हमें दृढ़ रहने की जरूरत है। हमें मजबूती से यह कहना होगा कि इस विधेयक का कुल प्रयोजन हमें वनों में वैसी सुगमता और भूधृतीय अधिकार देना है जिन्हें एक के बाद एक क्रमवर्ती सरकारों ने नकारा है। अधिकारों को नकारने के द्वारा लोगों के वनों को सरकारी वन बनाया गया। सरकारी वनों में भी, कई क्षेत्रों के लोग 'अभिलेखों में दर्ज' निस्तार एवं अन्य अधिकारों का उपभोग करते थे, और वन ग्रामीण आसपास के वनों का परंपरागत रूप से उपयोग कर सकते थे हालाँकि सरकार ने उसे अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया था।

(ख) *''नाजुक वन्यजीव निवास-स्थल'' का अर्थ है राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रयाणियों के वैसे क्षेत्र जहाँ वैज्ञानिक एवं वस्तुगत कसौटियों के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग से, यह निर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि एक विशेषज्ञ कमिटी द्वारा सलाह-मशविरा की खुली प्रक्रिया के बाद ऐसे इलाकों को केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारत एवं अधिसूचित रूप से वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रमणीय रखने की जरूरत है। उक्त विशेषज्ञ कमिटी में स्थान विशेष से सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें आदिवासी मामलों के मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा, धारा-4 की उपधारा (1) और (2) से उत्पन्न प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्र निर्धारित होंगे;*

नोटः अत्यधिक महत्वपूर्ण : उपरोक्त धारा स्पष्ट रूप से 1972 और 2003 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का खंडन यह कहते हुए करती हैं कि किसी क्षेत्र को तभी 'नाजुक वन्यजीव निवास स्थल' माना जायेगा (यानी उस वन क्षेत्र का उपयोग मनुष्यों द्वारा नहीं किया जायेगा, और वैसी जरूरत होने से वहाँ लोगों को अधिकार नहीं दिये जायेंगे) जब यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि संबंधित समुदाय इस बात पर सहमत हुए हैं (ग्रामसभा द्वारा संकल्प लिया गया हो) कि उस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के हित में उनके अधिकारों में कटौती की गयी है, और एक विशेषज्ञ कमिटी (जिसमें स्थानीय विशेषज्ञ शामिल हों, जिसका अर्थ संभवतः पारिस्थितिकी के शिक्षक और आदिवासी मामलों के विभाग के प्रतिनिधि हैं) इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे इलाकों को 'अनतिक्रमणीय' रखना होगा।

**यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि समुदाय की सहमति के बिना और निर्दिष्ट क्षेत्र में अधिकारों को दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के पहले किसी भी क्षेत्र को 'अनतिक्रमणीय' घोषित नहीं किया जा सकता है।**

**वन विभाग वन्य जीव बचाव अभियान (2006 संशोधन) के तहत विभिन्न राज्यों में 'संकटपूर्ण व्याघ्र निवास सथल' घोषित करता आ रहा है। यह याद रखना अच्छा होगा कि हालांकि वह अधिनियम ऐसे 'संकटपूर्ण व्याघ्र निवास स्थलों' को चिन्हित और अधिसूचित करने के पहले जनता की सहमति लेने की अपेक्षा नहीं करता है, फिर भी अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि लोगों को नयी जगह पर बसाने की किसी भी व्यवस्था के लिए ग्राम सभा की जानकारी पर आधारित पूर्व सहमति जरूरी है और पुनर्स्थापना के पहले अधिकारों की बंदोबस्ती करना जरूरी है।**

**यह भी नोटः करना जरूरी है कि किसी संकटपूर्ण व्याघ्र निवास स्थल में भी वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करना जरूरी है। वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी पुनर्स्थापना के लिए यह अपेक्षित है कि जिन इलाकों मे वैसा पुनर्स्थापना किया जाात है उनको संकटग्रस्त वन्य जीव निवास स्थलों के रूप में अलग से चिन्हित और अधिसूचित करना जरूरी है। वन निवास द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि संकटग्रस्त बाघ निवास स्थल वन अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आता है वह एक झूठ है, और हमें इस पर चौकस रहने की जरूरत है।**

(ग) *'वन निवासी अनुसूचित जनजातियाँ' का अर्थ है अनुसूचित जनजातियों के वे सदस्य या समुदाय जो मूलतः वनों और वन भूमियों में रहते हैं और आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए उन पर आश्रित हैं, और उन जनजातियों में अनुसूचित जनजातीय पशुचारी समुदाय भी शामिल हैं;*

**नोटः इस अधिनियम के तहत कौन अधिकरों का दावा कर सकते हैं? सिर्फ वे ही अनुसूचित जनजातियों, जो 'मूलतः' वनों में रहती हैं, और 'आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वनभूमि या वनों' पर आश्रित है, यह दावा कर सकती हैं कि वे 'वन निवासी अनुसूचित जनजातियाँ' हैं।**

**'मूलतः वनों में रहते हैं' का अर्थ वैसे लोग समझना चाहिए जिनका वनों के साथ संबंध नियम (ख) में स्पष्ट किये गये निर्वाह और 'आजीविका की वास्तविक जरूरतों' के लिए हैं :**

*''आजीविका की वास्तविक जरूरतों'' का अर्थ, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (घ) के अनुसार, वनभूमि पर खुद खेती करने से होने वाले उत्पादन या उपज की बिक्री द्वारा खुद की और परिवार की निर्वाह की जरूरतों का पूरा होना है;*

हमें शब्द 'आजीविका की वास्तविक जरूरतों' का अर्थ वैसी जरूरतें समझनी चाहिए जो आजीविका और जीवन बचाने से जुड़ी हैं : उदाहरण के लिए, घरेलू खपत के लिए और बिक्री के लिए भी, गैर लकड़ी, वनोपजों और झाड़–झंखाड/जलावन आदि को 'आजीविका की वास्तविक जरूरतें' माना जायेगा।

हमें यह बात नोटः करनी चाहिए कि नियम में अधिनियम की धारा 3 (1 ग), 3(1 क) और 3 (1 घ) का उल्लेख किया गया जो यह स्पष्ट करते हैं कि जंगल के अंदर खेती, जलावन संग्रह, गैर–टिंबर वनोपजों का संग्रह या प्रसंस्करण, मछली मारना और चराई सहित आजीविका की सभी प्रकार की गतिविधियों को 'आजीविका की वास्तविक जरूरतें' माना जायेगा।

चूँकि वनग्राम/टौंगिया ग्राम और वनभूमि पर बसे दूसरे सभी गाँव जंगलों में या जंगलों के अंदर हैं, इसलिए ऐसे गाँवों के जनजातीय निवासी यह दावा कर सकते हैं कि वे 'वन निवासी जनजातियाँ' हैं।

इसी प्रकार अब जिन लोगों को वनभूमि पर अतिक्रमणकारी माना गया था वे सभी जनजातियों के लोग दावा कर सकते हैं कि वे भी 'वन निवासी जनजातियाँ' हैं।

साथ ही, हमें इस कानून में दिये अनुसार  नीचे 'घ' देखें) वनभूमि की परिभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और जब तक राजस्व विभाग के अभिलेख में भूखंड को निश्चित और स्पष्ट रूप से 'गैर–वनभूमि' के रूप में नहीं दिखाया गया है, तब तक उसे हमेशा वनभमि के रूप में दावा करना चाहिए।

अगर जंगलों के अंदर या वनभूमि पर अपने भूखंड पर किसी की झोंपड़ी/मकान/शेड़ हो तो वह 'वन निवासी' के दर्जा का दावा कर सकता/सकती है। साथ ही 9 जून 2008 को दिये गये एक स्पष्टीकरण में, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट की कि, 'जिन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के ऐसे इलाकों में या तो निवास स्थल हैं या आजीविका के लिए खुद खेती करने के लिए भूखंड हैं और इसलिए वे मूलतः वहां या तो अस्थायी कामचलाऊ ढांचों में रहते हुए या भूखंडों पर काम करते हुए अपना अधिकतर समय बिताते हैं, चाहें उनके निवास गश्ह वन के बाहर हों या वन भूमि पर' उनको अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा करने का हक होगा। साथ ही उसी स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख है कि 'जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी, अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन पर निर्भर करते हैं, चाहें वे वन के अंदर रहते हों या नहीं, अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (ग) और 2 (ण) में दिये अनुसार 'वन निवासी अनुसूचति जनजातियों' की परिभाषा के दायरे में आयेंगे।'

**अगर दावेदार अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उनको 'वैसे क्षेत्र में' रहना चाहिए 'जहां वे अनुसूचित' हैं। अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ सूची में एक क्षेत्र का नाम दिया रहता है। यह क्षेत्र कभी तो एक पूरा राज्य होता है और कभी किसी राज्य का एक हिस्सा। उन राज्यों के जिन भागों में वे अनुसूचित हैं, उनमें समुदाय अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का दावा कर सकता है। जिन राज्यों के बाहर या राज्यों के हिस्सों के बाहर वे अनुसूचित हों तो समुदाय वहाँ इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, बल्कि वहाँ वे सिर्फ 'अन्य परंपरागत वन निवासियों' के रूप में पात्र होंगे (नीचे देखें)।**

(घ) *'वनभूमि' का अर्थ किसी भी वन क्षेत्र के दायरे में पड़ने वाली किसी भी प्रकार की जमीन है और ऐसी वनभूमि में अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन, मौजूदा या माने गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, आश्रयणियाँ और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं;*

**नोटः यह एक विस्तश्त परिभाषा है। हम दावा कर सकते हैं कि वन क्षेत्रों के अंदर या चारों तरफ कोई भी जमीन वनभूमि है। जब तक सरकार यह दिखाते हुए रिकॉर्ड नहीं पेश करती कि जमीन गैर वनभूमि (कृषि भूमि, चारागाह या गोचर, फलोद्यान या ऐस्टेट आदि) हैं, तब तक इस परिभाषा में निजी एस्टेटों (भूसंपत्तियों) और विवादित भूमियों सहित सभी प्रकार की जमीनें शामिल हैं। अगर भूमि किसी वन की सीमा पर हो तब भी यह दावा किया जा सकता है कि कभी उस पर वन था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दावेदारों को मूलतः जंगलों में रहना होगा, और यह परिभाषा 'वनभूमि' को सरकारी अभिलेखों में 'वनों' के रूप में दिखायी गयी भूमि से अधिक व्यापक अवध ारणा देती हैं।**

(ङ) *'वन अधिकार' का अर्थ है धारा में जिक्र किया गया वन अधिकार;*

(च) *'वन ग्राम' का अर्थ वे बस्तियाँ हैं जिन्हें किसी राज्य सरकार के वन विभाग ने वनों के अंदर स्थापित की है या जो वन आरक्षण की प्रक्रिया द्वारा वन ग्रामों में बदल दी गयी हैं और इसमें वन बंदोबस्ती ग्राम, नियत मांग धृतियाँ, सभी प्रकार की टौंगिया बस्तियाँ शामिल हैं, चाहे वैसे गाँवों को जिस नाम से भी पुकारा जाये, और सरकार की अनुमति से खेती और दूसरे उपयोगों में लगायी गयी जमीनें भी शामिल हैं;*

**नोटः विस्तृत परिभाषा है और इसमें 'दखल में स्थित' या 'अतिक्रमित' गाँवों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के गाँव शामिल हैं। जिस जमीन को 'वन ग्राम भूमि' माना जायेगा, वह खेती या वासभूमि के लिए तथा स्कूलों, मंदिरों, खेल के मैदानों आदि जैस 'सरकार की अनुमति से अन्य उपयोगों' के लिए इस्तेमला की गयी जमीन होगी।**

(छ) *'ग्राम सभा' का अर्थ एक ग्रामीण समावेश है जिसमें किसी गाँव के, और जिन राज्यों में पंचायत नहीं हों, वहाँ पाड़ा, टोले और अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएँ और निर्वाचित ग्राम कमिटियों के सभी व्यस्क सदस्य शामिल होंगे और उनमें औरतों की पूर्ण एवं बेरोक भागीदारी होगी;*

**नोटः ग्राम सभा की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहें सरकारी आदेश या अन्य किसी कानून में जो भी लिखा हो, हमें आगे 2 (त) में दी गयी 'गाँव' की परिभाषा को मानकर चलना चाहिए और उसी को प्रचारित करना चाहिए, और परिभाषा के अनुसार किसी भी गाँव, को रिकार्ड या सर्वे नहीं किये गये गाँव को भी गाँव मानना चाहिए और उस गाँव की अपनी ग्राम सभा हो सकती है।**

**यह बात खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वन अधिकार अधिनियम की सरकारी प्रक्रिया नियमतः 2 (त) में दी गयी गाँवों और स्वघोषित ग्राम सभाओं की परिभाषा को नजरअंदाज करती है, और 'गाँव' की व्याख्या 'सरकारी' गाँव के रूप में की जा रही है, जो अक्सर स्थानीय, सांस्कृतिक, नश्जातीय और पारिस्थितिकीय रूप से अलग–अलग गाँव हो सकते हैं, और उनको चुनावी और प्रशासनिक सहूलियत के लिए एक समूह में एक साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे 'सरकारी' गाँव के स्तर पर ग्रामसभाओं से काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती हैं और ऐसे 'अवधारणागत' गाँवों में गठित वन अधिकार कमिटियां विरले ही स्वतंत्र रूप से काम करेंगी।**

**चूंकि नियम (3) कहता है कि 'ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जायेगा', इसलिए यहां कुछ भ्रम पैदा हो सकते हैं क्योंकि अक्सर किसी भी निर्वाचित पंचायत में ऐसे कुछ टोले/मौजे हो सकते हैं जो पूरी तरह/आंशिक रूप से वन क्षेत्र के बाहर होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे गाँव होंगे जहाँ कोई निर्वाचित पंचायत नहीं है। तब वैसे पंचायतों में अगर ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले टोलों/मौजों के पंचायत को भी ग्रामसभा को बुलाना या गठन करना है, तो क्या वहां की ग्रामसभा को ग्रामसभा माना जायेगा? तब क्या जहाँ पंचायत नहीं हैं वहां गाँवों की अपनी ग्रामसभाएँ नहीं होंगी?**

**हमें यहाँ अधिनियम में लिखी गयी बातों पर डटे रहना होगा। नियम तो अधिनियम को लागू करने के लिए मात्र कुछ प्रक्रियाएँ हैं, और इसलिए उनको अधिनियम का खंडन करने वाला नहीं माना जा सकता है। चूँकि अधिनियम दोनों गाँव और ग्रामसभा की परिभाषा करता है, इसलिए हम उसी के मार्गदर्शन से चलेंगे। 'वास्तविक' गाँव (टोला स्तर या मौजा स्तर, जैसा ग्रमीण निर्णय करें) की, और अधिकारों के सिर्फ पात्र दावेदारों, की ग्रामसभा ही ग्रामसभा होगी। जंगलों से दूर रहने वाले लोगों, और सिर्फ जीवित रहने और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहने वालों को ग्रामसभा**

**में शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिन गाँवों में कोई निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि नहीं होंगे वहाँ परंपरागत पंचायतों/ग्राम समाज आदि को ग्राम पंचायत माना जायेगा।**

**कार्रवाई की बात : जहाँ भी आंदोलन हों वैसे प्रत्येक गाँव में ग्रामसभाओं का गठन कीजिए। यह बात महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में सरकारी ग्रामसभा है या नहीं; हम उपरोक्त 2 (छ) के अनुसार ग्रामसभा का गठन करेंगे।**

(ज) *'निवास स्थलों' में आरक्षित एवं संरक्षित वनों में वैसे क्षेत्र शामिल होंगे जहाँ रिवाजी निवास स्थल हों और आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और वन पर निर्भर अन्य अनुसूचित जनजातियों के निवास स्थल हों;*

**नोटः शब्द 'निवास स्थल' सिर्फ कृषि पूर्व और आदिम जनजातीय समूहों पर लागू होता है। अधिनियम के तहत, ''आदिम जनजातीय समूहों (जैसे जुआंग, चेंचू, बैगा आदि) और 'कृषि पूर्व समुदायों' (जैसे झूमिया/झूम कृषक) को 'निवास स्थल और निवास का अधिकार है' (धारा 3 (ङ)) यहाँ 'निवास स्थल' की परिभाषा वैसे परंपरागत क्षेत्र के अर्थ में की गयीं हैं जहाँ ये समुदाय रहे हैं, भले ही वे आरक्षित/संरक्षित वनों के अंदर हों।**

**हमें किसी निवास स्थल के अधिकार को इस प्रकार देखना चाहिए –**

- **इन वन क्षेत्रों के अंदर रहने और बेदखल नहीं किये जाने का अधिकार;**
- **इन जंगलों को नष्ट होने से रोकने का अधिकार;**
  **(क्योंकि जंगल नष्ट होने से इन समुदायों के लिए निवास स्थल नहीं रहेंगे) ;**
- **'निवास स्थलों' के रूप में बनाये गये इन वन क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार**

(झ) *'लघु वनोपजों' में पेड़–पौधों से उपजे सभी गैर–टिंबर वनोपज शामिल हैं जिनमें बाँस, झाड़–झंखाड़, ठूँट, बेंत, तसर, रेशम के कोये, शहद, मोम, लाह, तेंदू या केन्दू पत्ते, औषधीय पेड़–पौधे और जड़ी–बूटियाँ, कंद–मूल आदि शामिल हैं;*

**नोटः महत्वपूर्ण लघु वनोपजों में 'पेड़–पौधों से निकले सभी गैर लकड़ी वनोपज शामिल हैं', जलावन भी।**

(ञ) *'नोडल एजेन्सी' का अर्थ है धारा 11 में निर्दिष्ट नोडल एजेन्सी;*

(ट) *'अधिसूचना' का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;*

(ठ) *'विहित' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा विहित;*

(ड) *'अनुसूचित क्षेत्र' का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र;*

(ढ़) *'स्थायित्वपूर्ण (टिका ऊ) उपयोग' का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा के खंड (ण) में दिया गया है;*

(ण) *'अन्य परंपरागत वन निवासी' का अर्थ वैसा कोई सदस्य समुदाय है जो 13 दिसम्बर 2005 के पहले मूलतः वन या वन भूमि में कम से कम तीन पीढ़ियों से रहा हो और आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन या वनभूमि पर निर्भर हो।*

*स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन के लिए 'पीढ़ी' का अर्थ पच्चीस वर्ष है।*

**नोटः उपरोक्त 2 (ग) में 'मूलतः' में रहे हुए' और 'आजीविका की वास्तविक जरूरतों' का स्पष्टीकरण दिया गया है। (उपाबंध – 2 में भारत सरकार का पत्र भी देखें)**

**यह धारा कहती है कि 'अन्य परंपरागत वन निवासी' होने की अर्हता के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना है कि वह (उसका परिवार) 2005 के पहले तीन पीढ़ियों तक वनों या वनभूमि में रहा है, जहाँ पीढ़ी को पच्चीस वर्षों रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है कुल 75 वर्ष की अवधि – यानि 1930 से।**

**कानून में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि व्यक्ति/परिवार 1930 से वनभूमि के एक ही भूखंड में रहा हो, उसे उस समय से सिर्फ वनभूमि में निवास किया होना काफी काफी है।**

**वन ग्राम, खासकर टौंगिया कहे गये वन ग्राम, अकसर कई स्थलों पर बसे थे, उनमें कई ग्रामों को 'अस्थायी' माना जाता था और वन विभाग के पास उनके लिए कोई रिककार्ड नहीं है। नीचे दी गयी धारा 3 (ज) स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे सभी गाँवों को राजस्व गाँवों में बदल दिया जायेगा, और दूसरा कुछ नहीं, चाहें उन गाँवों के निवासी आदिवासी हों या नहीं; किसी वन ग्राम का निवासी कई पीढ़ियों से वन में रहा हो सकता है (जैसा कि अकसर हुआ है) लेकिन तभी वन ग्राम में आया हुआ माना जाता था जब उसकी 'अधिकृत रूप से' स्थापना की गयी हो।**

(त) *गाँव का अर्थ है –*

*(i) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों की धारा 4 के खंड में बताये अनुसार गाँव; या*

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों के सिवा अन्य पंचायतों से संबंधित किसी भी राज्य कानून में गाँव के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम, पुराने निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित गाँव, चाहें गाँव के रूप में अधिसूचित किया गया हो या नहीं; या

(iv) जिन राज्यों में पंचायत नहीं हैं, वहाँ परंपरागत गाँव, चाहें उन्हें जिस नाम से भी पुकारा जाये;

**नोटः : देखें 'ग्राम सभा' : 2 (छ)**

(थ) *जंगली जानवर' का अर्थ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची से तक में निर्दिष्ट जानवरों की कोई भी प्रजाति।*

# अध्याय - 2

## वन अधिकार

**3.** *इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित सुरक्षित व्यक्तिगत या सामुदायिक धृति या दोनों प्रकार के अधिकार* ***सभी वन भूमियों*** *पर बसे वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे, यथा –*

**नोटः यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव आश्रयणियों जैसे सभी प्रकार के वन्य जीवन सहित सभी वनभूमियों में सभी अधिकार प्रभावी होंगे।**

(क) *किसी वन निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने निवास के लिए या आजीविका के लिए खुद खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सर्व सामान्य दखल में स्थिति वनभूमि रखने और उसमें रहने का अधिकार;*

**नोटः इसका अर्थ है कि लोग रहने और खेती करने के लिए वन भूमि रख सकते हैं। दिसम्बर के पहले जिन सब लोगों का जमीन पर दखल रहा है उनको इस अधिकार के आधार पर जमीन की स्थायी मालिकी दी जायेगी।**

(ख) *निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहें वे किसी भी नाम से पुकारे जायें, इनमें भूतपूर्व रजवाड़ों, जमींदारी या ऐसी मध्यवर्ती व्यवस्थाओं में उपयोग किये गये अधिकार भी शामिल हैं;*

**नोटः देशी राजाओं के अधीन पुराने जमींदारी जंगलों या जंगलों में लोग निस्तार जैसे रिकार्ड किये गये कई अधिकारों का उपभोग करते थे। वे अधिकार कुछ सरकार की मालिकाना वाले संरक्षित वनों में भी मौजूद थे। अधिकार इलाकों में (उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल) वन विभाग की जिम्मेदारी में आते ही इन अधिकारों को 'खतम' (निर्वापित) माना जाता था। अब लोग उन पुराने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।**

**ये अधिकार इस कानून के तहत दिये गये अधिकारों के अलावे होंगे। उदाहरण के लिए अगर लोगों को कुछ इलाकों में टिंबर पर दर्ज किये गये (रिकॉर्ड किये गये) अधिकार होते थे तो वे 3 (ख) के तहत उस अधिकार का दावा कर सकते हैं, भले ही नये कानून के तहत दिये गये अधिकारों में टिंबर शामिल नहीं है।**

(ग) गाँव की सीमाओं के अंदर और बाहर परंपरागत रूप से जमा किये गये लघु वनोपज की मालिकी, संग्रह करने जाने, इस्तेमाल करने और इस्तेमाल/बिक्री करने का अधिकार;

**नोटः यह कानून लोगों को लघु वनोपजों पर 'मालिकी' का अधिकार देता है, और उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए जंगल 'जाने का' अधिकार देता है। इसका मतलब है कि लोग जंगल जा सकते हैं, लघु वनोपजों को जमा कर सकते हैं ओर उनका 'व्ययन' (इस्तेमाल, बिक्री) कर सकते हैं। नियम (घ) 'गैर टिंबर वनोपज' के व्ययन के बारे में बताता है।**

*अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत बताये गये 'लघु वनोपजों के इस्तेमाल/बिक्री' में संग्रह करने वाले व्यक्ति या समुदाय द्वारा आजीविका के लिए ऐसे वनोपजों के इस्तेमाल या बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य वर्द्धन और सिर पर ढोकर, साइकिल पर और ठेला पर ले जाना शामिल है;*

**नोटः चूँकि जब तक नियम में दूसरा कुछ नहीं कहा गय है या ग्रामसभा अन्यथा नहीं कहतीं तब तक यह अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है। जब जंगल के एक ही भाग में कई लोग एक ही समय इस अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तब उनके बीच विरोध की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।**

## कार्रवाई के बिंदु :

**1. ग्राम सभाओं को गैर टिंबर वनोपजों का संग्रह करने और ले जाने के संबंध में स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत है, और यह तय करना चाहिये कि ग्रामसभा लघु वनोपज का 'मालिक' होगी, व्यक्तिगत दावेदार नहीं।**

**2. अब से गैर टिंबर वनोपज ले जाने के लिए वन विभाग को रायेल्टी (स्वामित्व**

**शुल्क) देना बंद कीजिए और माँग कीजिए कि वन विभाग का पारगमन पास होना जरूरी होना चाहिए।**

(घ) *इस्तेमाल के अन्य सामुदायिक अधिकार या हकदारियाँ जैसे मछलियों और जल स्त्रोतों के अन्य उत्पाद, चराई (दोनों स्थिर रहकर या घुमंतू रूप से) और घुमंतू या पशुचारी समुदायों द्वारा परंपरागत मौसमी संसासधन लेना;*

**नोटः दोनों मछली पकड़ना और चराई सामुदायिक अधिकार है। कोई व्यक्ति चारागाहों/चराई क्षेत्रों और मछलियों की मालिकी का दावा नहीं कर सकता है। ग्राम सभा को ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना होगा। इसका अर्थ है कि ग्राम सभा को चराई और मछुवारे समुदायों के लिए नियम बनाने की जरूरत है।**

(ङ) *आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए निवास स्थल और निवास की सामुदायिक धशतियों सहित अधिकार;*

**नोटः देखें उपरोक्त 2 (ज)।**

(च) *किसी भी राज्य में, जहाँ दावों पर विवाद हों तो, कोई भी नाम वाली विवादित भूमियों में/पर अधिकार;*

**नोटः अगर दावा की गयी जमीन वन विभाग और राजस्व विभाग (या अन्य विभागों) के बीच विवादित है या दावेदार जमीन पर वन विभाग की मालिकी को नहीं मानते हैं, वैसी स्थिति में एक अधिकार के रूप में एक पट्टे का दावा किया जा सकता है। इसका यह भी मतलब लगाया जा सकता है कि भूमियाँ अंतर राज्य विवादों में फँसी हैं।**

(छ) *वन भूमियों पर किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा जारी किये गये पट्टों या लीजों या अनुदानों को हकों में बदलने के अधिकार;*

**नोटः अगर दावेदारों के पास पहले से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा जारी किये गये जमीन के पट्टे या लीज या अनुदान हों तो उनको मौजूदा दस्तावेजों को अविवादित कानूनी हक में बदलाने का अधिकार है। कुछ वन ग्रामीणों के पास अस्थायी पट्टे थे, और 1990 के वन संरक्षण अधिनियम के पहले विभिन्न प्रकार के कालबद्ध अल्पकालीन (नियत माँग की धशतियाँ, उत्तर बंगाल) या एस्टेटों (असम, उत्तर बंगाल, नीलगिरी में चाय/कॉफी बगान) या सेवा जागीरों (वन ग्राम) के लिए लंबे समय की लीज पर वनभूमि दी गयी थीं। सभी राज्यों में ऐसी विवादित वनभूमियाँ होंगी जिन पर राजस्व विभाग ने पट्टे दिये थे। जिस क्षेत्र पर इस धारा**

**के तहत अधिकारों का दावा किया गया है वह उस क्षेत्र पर आधारित होगा जिसके लिए मौजूदा पट्टा या लीज या अनुदान बिना किसी ऊपरी या निचली सीमा के दिया गया है। यह प्रति नाभिकीय (न्यूक्लियस) परिवार 4 एकड़ से अधिक हो सकती है।**

(ज) *जंगल में सभी वन ग्रामों, पुराने निवास के असर्वेक्षित गाँवों और अन्य गाँवों में, चाहें वे रिकॉर्ड किये गये हों या नहीं, अधिसूचित किये गये हों या नहीं, बसने और उन गाँवों को राजस्व गाँवों में बदलने का अधिकार;*

**नोटः उपरोक्त 2(ण) देखे। यह खंड भी बहुत महत्वूपर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि वनभूमि पर सरकारी नक्शों में नहीं मौजूद और सरकार द्वारा 'अतिक्रमित' कहे गये ग्रामों सहित सभी प्रकार के गाँवों को एक अधिकार के रूप में राजस्व गाँव में बदला जा सकता है। इससे आंदोलनों के लिए चीजें अधिक आसान होंगी क्योंकि राजस्व ग्राम में बदले जाने के लिए पूरे गाँव को एक इकाई माना जायेगा, और रिकॉर्ड बनाना और आगे की कानूनी प्रक्रिया अधिक आसान होगी।**

(झ) *वैसे किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा करने, पुनरुत्पादित करने या संरक्षण करने या प्रबंध करने का अधिकार जिसकी वे स्थायित्वपूर्ण (टिकाऊ) उपयोग के लिए परंपरागत रूप से रक्षा और संरक्षण करते आ रहे हैं;*

**नोटः अत्यंत महत्वपूर्ण। 3(5) और 2(क) के साथ मिलकर यह खंड समुदायों को आरक्षित या संरक्षित वनों, और आश्रयणियों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे 'सरकारी वनों' के प्रबंध पर नियंत्रण करने की शक्तियाँ और अधिकार देता है। अब ग्राम सभा और उसके सदस्य वन विभाग (और टिंबर माफिया) या इन खंडों के आधार पर अन्य किसी एजेन्सी को पेड़ काटने या ऐसा कुछ करने (खनन, बांध निर्माण आदि) से रोक सकते हैं जो उनके विचार से वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता को नष्ट करने वाला है। ग्राम सभाएं जरूरी हों तो वनों में प्रदेश को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बना सकती हैं और खाली स्थलों पर पेड़ रोप सकती हैं।**

**ये खंड वन विभाग द्वारा प्रायोजित संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक वन प्रबंधन की कमेटियों को पूरी तरह अनावश्यक बना देते हैं क्योंकि अधिनियम ग्राम सभा को वनों की रक्षा और प्रबंध के लिए जिम्मेदार बनाता है।**

## कार्रवाई के बिंदु :

- ग्राम सभा का गठन कीजिए और वन रक्षा कमेटियों और ई.डी.सी.एस. का विघटन कीजिए।

- संरक्षण/प्रबंधन क्षेत्र को (वन प्रखंडों/उपखंडों द्वारा या अन्य किसी तरीके से) सीमांकित करें।
- ग्राम सभा द्वारा वन रक्षा और वन प्रबंधन के नियम बनाइए।
- रक्षा के कर्त्तव्यों को चालू कीजिए।
- यह सुनिश्चित कीजिए कि ग्राम सभा के सभी सदस्यों को लघु वनोपजों/मछली तथा अन्य संसाधन हासिल करने के समान अधिकार हों।
- यह सुनिश्चित कीजिए कि बाहर के व्यावसायिक हित वाले लोग वनों में प्रवेश करें।

(ञ) *जो अधिकार किसी राज्य कानून या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के कानूनों या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के तहत मान्यता प्राप्त हैं या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या रिवाजी कानून के तहत आदिवासियों के अधिकारों के रूप में स्वीकृत हैं;*

**नोटः वे सारे अधिकार इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों के अलावे हैं।**

(ट) *जैव विविधता की उपलब्धता का अधिकार और जैव विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपत्ति एवं परंपरागत जानकारी पर सामुदायिक अधिकार;*

(ठ) *वैसे अन्य कोई परंपरागत अधिकार जिनका उपयोग वन निवासी अनुसूचित जनजातियाँ या अन्य परंपरागत वन निवासी करते थे पर जिक्र खंड (क) से (ठ) तक में नहीं किया गया है, लेकिन इसमें किसी भी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या जाल में फँसाने या उसके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार शामिल नहीं रहेगा;*

**नोटः जंगली जानवरों का शिकार करना या मार डालना इस अधिनियम के तहत अधिकार नहीं है और वन विभाग अभी भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन अपराधों के लिए लोगों को परेशान कर सकता है।**

(ड) *अवस्थान में पुनर्वास का अधिकार जिसमें वैसे मामलों में वैकल्पिक जमीन देने का अधिकार शामिल है जहाँ अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 15 दिसंबर 2005 के पहले बिना कानूनी हक दिये या पुनर्वास की व्यवस्था किये बिना भी किसी भी प्रकार की वनभूमि से अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है।*

**नोटः महत्वपूर्ण। विभिन्न कारणों से वन विभागों और अन्य एजेंसियों द्वारा जो लोग बेदखल किये जा चुके हैं वे अभी अपने निवास की जमीन पर या, कानूनन पुनर्वास नहीं किये जाने से, वैकल्पिक जमीन के हक का दावा कर सकते हैं।**

*(2) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में कहीं गयी किसी भी बात के बावजूद, केन्द्र सरकार सरकार द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वनभूमि का उपयोग करने देगी, लेकिन प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ों से अधिक पेड़ों को नहीं काटना होगा –*

*क) स्कूल;*

*ख) डिस्पेंसरी या अस्पताल;*

*ग) आंगनवाड़ियाँ;*

*घ) सस्ते में चलायी जाने वाली दुकानें;*

*ङ) बिजली और दूर संचार के लाइन;*

*च) तालाब और अन्य लघु जल स्त्रोत;*

*छ) पेयजल की आपूर्ति और पानी के पाईप लाइन;*

*ज) पानी या वर्षा जल संग्रह के ढाँचे;*

*झ) लघु सिंचाई नहर;*

*ञ) ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोत;*

*ट) हुनरों में बेहतरी लाना या पेशागत प्रशिक्षण केन्द्र;*

*ठ) सड़कें; और*

*ड) सामुदायिक केन्द्र।*

*उपबंधित है कि वनभूमि के ऐसे अन्य उपायों की अनुमति तभी दी जा सकती है जब–*

- *इस उपधारा में बताये गये प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वनभूमि को क्षेत्रफल प्रत्येक मामले में एक हेक्टैयर से कम हो; और*
- *ऐसी विकास परियोजनाओं की अनुमति इस शर्त पर दी जायेगी कि ग्राम सभा उसकी सिफारिश करे।*

# अध्याय – 3

## वन अधिकारों को मान्यता, फिर से वापस करना और निहित करना तथा संबंधित विषय

**4.** (1) *तात्कालिक रूप से लागू अन्य किसी कानून में शामिल किसी भी बात के बावजूद और इस अधिनियम के प्रावधानों का ख्याल रखते हुए, केन्द्र सरकार वन अधिकारों को मान्य करता है और निम्नलिखित समुदायों में निहित करता है –*

(क) *वन निवासी अनूसूचति जनजातियां – वैसे राज्यों या राज्यों के इलाकों में जहाँ धारा 3 में बताये गये सभी वन अधिकारों के संदर्भ में वे अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित की गयी हैं;*

(ख) *धारा 3 में बताये गये सभी वन अधिकारों के मामले में अन्य परंपरागत वन निवासी;*

**नोटः यह बात स्पष्ट की गयी है कि चाहे अन्य कानूनों में जो भी उपबंधित हो, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत ये अधिकार अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि अधिकारों के हकदार उन अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, भले ही 1927 के भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव रक्षा अधिनियम 1972/2003/2006 और 1980 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे कानून कहें कि इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

(2) *राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रयाणियों के नाजुक वन्य जीव निवास स्थलों में इस अधिनियम के तहत मान्य वन अधिकारों को बाद में संशोधित किया जा सकता है या उनकी नये सिरे से बंदोबस्ती की जा सकती है बशर्ते कि कोई भी वन अधिकार धारकों या उनके अधिकारों की बंदोबस्ती इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि उससे वन्य जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रमणीय क्षेत्रों का सृजन करने के प्रयोजन के लिए उनके अधिकार जोखिम में न पड़ें, सिवा वैसी स्थिति में जहां निम्निलिखित शर्तें पूरी हों यथा*

**नोटः 'नाजुक वन्य जीव निवास स्थलों में अधिकार भविष्य में संशोधित किये जा सकते हैं, या फिर से उनको परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि –**

(क) *धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारों को मान्य एवं निहित करने की प्रक्रिया विचाराधीन सभी क्षेत्रों में पूरी हो जाये;*

**(यानी लोग जानते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं और वे बकायदा रिकॉर्ड किये गये हैं)**

(ख) *वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों ने यह बात स्थापित की है कि अधिकार प्राप्त लोगों की गतिविधियों और उनकी मौजूदगी से वन्य जीवों पर ऐसा प्रभाव न हो कि उनकी क्षति की भरपाई न हो सके और उक्त जीव प्रजातियों और उनके निवास स्थलों का अस्तित्व जोखिम में पड़ जाये;*

**(वन विभाग को यह साबित करना है कि नाजुक वन्य जीव निवास स्थलों के अंदर लोगों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करना वनों के लिए हानिकारक है)**

(ग) *राज्य सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सह अस्तित्व जैसे अन्य युक्तिसंगत विकल्प उपलब्ध नहीं हैं;*

**(सिर्फ वन विभाग नहीं बल्कि राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि लोग और वन्य जीव एक साथ जंगल में नहीं रह सकते हैं)**

(घ) *एक पुनर्स्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार किया गया है और उसकी सूचना दी गयी है जो प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षित आजीविका की व्यवस्था करता है और केन्द्र सरकार के प्रासंगिक कानूनों और नीति में बताये गये प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों की जरूरतें पूरी करता है;*

**(केन्द्र सरकार की भावी राहत एवं पुनर्वास नीति के अनुसार ऐसी पुनर्स्थापन/पुनर्वास योजनाएँ तैयार की गयी हैं जिससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित होगी)**

(ङ) *संबंधित इलाके में प्रस्तावित पुनर्स्थापन और दिये गये पैकेज पर ग्रामसभाओं की जानकारी से लैस मुक्त सहमति लिखित रूप में हासिल की गयी है;*

**(सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामसभा पुनर्स्थापन योजना के बारे में जानती हो और लिखित रूप से योजना पर अपनी सहमति दे)**

(च) *तब तक पुनर्स्थापन नहीं किया जायेगा जब तक पुनर्स्थापन की जगह सुविधाएँ और जमीन का आवंटन वादा किये गये पैकेज के अनुसार पूरा न हो जाये;*

**(अगर लोगों को जंगल के बाहर चला जाना है तो वैकल्पिक स्थल पर पहले से भवन और अन्य सुविधाएँ दी गयी हों)**

उपबंधित है कि वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए जिन नाजुक वन्य जीव निवास स्थलों से अधिकार धारकों को नयी जगह बसाया गया है, उन निवास स्थलों को बाद में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य कोई हस्ती अन्य किसी उपयोग के लिए नहीं दे देगी।

(3) *इस अधिनियम के तहत वननिवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वनभूमि और उनके निवास स्थलों के बाबत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में वन अधिकार इस शर्त पर माने जायेंगे कि ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों का वनभूमि पर दखल 13 दिसंबर 2005 के पहले रहा हो।*

**(जिन सब लोगों का वनभूमि पर दखल 13 दिसंबर 2005 के पहले रहा हो वे पट्टा सहित अधिकारों का दावा कर सकते हैं)**

(4) *उपधारा (1) में दिया गया कोई भी अधिकार दाययोग्य होगा (मरने पर वारिस को मिलेगा) लेकिन दूसरों को नहीं दिया जा सकेगा और वह, विवाहित व्यक्तियों के मामले में, संयुक्त रूप से दोनों पति-पत्नी के नाम रजिस्टर होगा और एक अकेले व्यक्ति के नेतृत्व वाली गृहस्थी के मामले में परिवार के अकेले मुखिया के नाम रजिस्टर होगा और कोई प्रत्यक्ष वारिस न हो तो दाययोग्य अधिकार अगले रिश्तेदार को मिलेगा।*

**नोटः जमीन की मालिकी सहित अधिकार बाहरी लोगों को बेचे या हस्तांतरित नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन माँ/बाप से यह अधिकार बेटे/बेटी को या अगले रिश्तेदार को मिल सकता है। अधिकार दोनों पति और पत्नी के नाम रजिस्टर होंगे।**

(5) *अधिनियम में बताये गये ढंग के सिवाय वन निवासी अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य या कोई भी अन्य परंपरागत वन निवासी तब तक उसके दखल में स्थित वनभूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा जब तक मान्यता देने और सत्यापन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।*

**नोटः वनभूमि से सभी बेदखलियाँ तब तक रूकी रहेंगी जब तक अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार नहीं हो जाता।**

(6) *जहाँ उपधारा (1) के तहत मान्य एवं निहित किये गये अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित भूमि के बारे में वहाँ ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को एक व्यक्ति या परिवार या समुदाय के दखल में होगी और वह वास्तविक दखल के क्षेत्र तक सीमित होगी और किसी भी सूरत में वह चार हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी।*

**नोटः किसी भी परिवार के पास 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं हो सकती है।**

(7) *जो वन अधिकार दिये जायेंगे वे सभी भारों (विल्लंगमों) से मुक्त रहेंगे और उनके लिए कोई प्रक्रियागत अपेक्षाएं नहीं होंगी, इन अपेक्षाओं में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980*

*के तहत अनुमति, 'शुद्ध वर्तमान मूल्य' के भुगतान की अपेक्षा और वनभूमि को दूसरे काम में लगाने के लिए 'क्षतिपूर्तिकारक वनरोपण' शामिल हैं, सिवाय उनके जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।*

(8) *इस अधिनियम के तहत मान्य एवं निहित वन अधिकारों में उन सभी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को भूमि के अधिकार शामिल हैं, जो यह स्थापित कर सकते हैं कि वे राज्य द्वारा किये गये विकास संबंधी हस्तक्षेपों के कारण मुआवजे में जमीन दिये बिना उनके निवासों और खेती से विस्थापित किये गये, तथा वैसी स्थिति में भी उनको अधिकार होगा जहाँ उक्त अधिग्रहण के पाँच वर्षों तक भूमि का उपयोग अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया।*

**5.** किसी भी वन अधिकार के धारक, ग्रामसभा और इस अधिनियम के तहत किसी वन अधिकार के धारक क्षेत्रों में ग्राम स्तर की संस्थाओं को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गयी हैं–

*i) वन्य जीवों, वन और जैव विविधता की रक्षा करना;*

*ii) यह सुनिश्चित करना कि सटे हुए जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोतों और पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों की यथेष्ट रक्षा हो;*

*iii) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के निवास स्थलों को उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परंपराओं को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से बचाकर रखा जाये;*

*iv) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों की उपलब्धता का नियमन करने और वन्य जीवों, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों का पालन हो;*

**नोटः महत्वपूर्ण देखें उपरोक्त 3(1)**

# अध्याय – 4

## अधिकारी और वन अधिकार निहित करने की प्रक्रिया

**6.** (1) *इस अधिनियम के तहत ग्रामसभा के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंदर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को दिये जा सकने वाले व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों अधिकारों की प्रकृति और परिणाम को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकारी ग्राम सभा होगी; दावों को ग्रहण करके, उनको समेकित एवं सत्यापित करके तथा ऐसे अधिकारों के प्रयोग के लिए विहित रूप में प्रत्येक अनुशंसित दावे के क्षेत्र को सीमांकित करने वाला नक्शा तैयार करके ग्राम सभा यह प्रक्रिया शुरू करेगी और तब उस प्रभाव का एक संकल्प पारित करेगी और उसके बाद उसकी एक प्रति अनुमंडल स्तरीय कमेटी को अग्रसारित करेगी।*

### ग्राम सभा का गठन कैसे किया जायेगा? नियम कहते हैं कि :

**नियम 3. ग्रामसभा** – (1) ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा और अपनी प्रथम बैठक में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस और अधिक से अधिक पंद्रह व्यक्तियों का निर्वाचन वनाधिकार कमेटी के सदस्यों के रूप में करेगी, जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे :

लेकिन ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी : यह भी उपबंधित है कि जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ नहीं होंगी, वहाँ कम से कम एक तिहाई ऐसे सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) वन अधिकार कमेटी एक अध्यक्ष और एक सचिव का चयन करेगी ओर उसकी सूचना अनुमंडल स्तरीय कमेटी कर देगी।

(3) जब वन अधिकार कमेटी का कोई सदस्य खुद वन अधिकार का दावेदार भी होगा तब वह कमेटी को इस बात की सूचना देगा और उसके दावे पर विचार होने के समय सत्यापन की कार्यवाही में वह भाग नहीं लेगा।

### ग्राम सभा क्या करेगा? नियम कहते हैं कि :

**नियम 4. ग्रामसभा के काम – (1) ग्रामसभा –**

(क) वनाधिकारों की प्रकृति (स्वरूप) और परिणाम को निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, और उन अधिकारों से संबंधित दावों को ग्रहण करेगी और उनकी सुनवाई करेगी;

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की एक सूची बनायेगी और एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें दावेदारों और उनके दावों के वैसे विवरण दर्ज किये जायेंगे जो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करेगी;

(ग) इच्छुक व्यक्तियों और संबंधित अधिकारियों को समुचित अवसर देने के बाद वन अधिकारों पर दावों के संबंध में एक संकल्प पारित करेगी और उसे अनुमंडल स्तरीय कमेटी को अग्रसरित करेगी;

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के तहत पुनर्स्थापन पैकेजों पर विचार करेगी और उपयुक्त संकल्प पारित करेगी; और

(ङ) वन्य जीवों, वन और जैव विविधता की रक्षा के लिए अपने सदस्यों में से व्यक्तियों को लेकर कमेटियों का गठन करेगी ताकि अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को लागू किया जा सके।

(2) ग्रामसभा की बैठक में गणपूर्ति ऐसी ग्रामसभा के सभी सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों से होगी लेकिन जहाँ किसी गाँव में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों की मिली-जुली आबादी होगी वहां अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(3) राज्य के अधिकारी ग्रामसभा को जरूरी सहायता देंगे।

**नोटः ग्रामसभा अधिकारों के दावेदारों की अनुशंसा करती है (धारा 6(1))**

**पहला काम ग्रामसभा का गठन करना और ग्रामसभा की बैठक बुलाना है जो वन अधिकार कमेटी का गठन करेगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय पंचायत को शामिल किया जाना चाहिए और यह जरूरी है कि ग्राम सभा की प्रथम अधिकारिक बैठक को पंचायत (प्रधान, या पंचायत सचिव या पंचायत अधिकारी) द्वारा बुलाया जाये। अगर पंचायत इस प्रक्रिया का हिस्सा होने से इंकार करे तो ग्रामसभा को बगैर पंचायत के, लिखित रूप में अपना निर्णय पंचायत को सूचित करने के बाद, अपनी खुद की वन अधिकार कमेटी का गठन करना चाहिए।**

**वन अधिकार कमेटी के गठन की भौतिक प्रक्रिया में किसी सरकारी अधिकारी को शामिल करना जरूरी नहीं है।**

**यह कमेटी किसी अधिकार (भूमि/लघु वनोपज/आदि जैसा ऊपर कहा गया) का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुनेगी। ग्राम सभा पूरे गाँव के अधिकारों की खासकर सामुदायिक अधिकारों की अनुशंसा भी कर सकती है।**

**ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा वन अधिकार कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा और किसी भी प्रकार किसी भी विभाग के अधिकारियों सहित बाहरी लोग कमेटी में नहीं बैठेंगे।**

**कमेटी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक दावे को सुन, उसका सत्यापन करे और तब दावों का ऐसा एक नक्शा तैयार करे जिसे वह स्वीकार्य समझती है। इसमें कुछ समय लगेगा ओर इसके लिए लोगों को दावा की गयी जमीनों को मापना होगा।**

**अंततः कमेटी द्वारा कही गयी बातों के आधार पर ग्राम सभा को नक्शों सहित वैसे दावों के साथ एक संकल्प पारित करना होगा जिन्हें वह मान्यता के लिए अनुशंसति करना चाहती है, तब इसे अनुमंडल स्तरीय कमेटी के पास भेजना होगा।**

**ग्राम सभा द्वारा तैयार किये गये नक्शे में उस वन क्षेत्र की सीमायें दिखायी जायेंगी जिन्हें ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधन मानती है और वह अपने द्वारा मान्य अधिकरों (भूमि, लघु वनोपज, मछलियों, चराई आदि पर) की सूची बनायेगी। ग्राम सभा के तहत अधिकारों के धारकों की एक सूची नक्शे के साथ संलग्न होनी चाहिए।**

## ग्राम सभा यह काम कैसे करेगी? नियम कहते हैं कि –

**नियम 11. ग्रामसभा द्वारा (फार्म में) दावों को भरना, निर्धारण और सत्यापन की प्रक्रिया :**

(1) ग्रामसभा निम्नलिखित कदम उठायेगी –

(क) दावों का आह्वान करेगी और वन अधिकार कमेटी को इन नियमों के उपाबंध 1 में दिये गये फार्म में दावों को स्वीकार करने के लिये अधिकृत करेगी और ऐसे दावों के लिए आह्वान की गयी तारीख से तीन महीनों के अंदर किये जायेंगे और साथ में नियम 13 में बताये अनुसार कम से कम दो गवाह भी पेश किये जायेंगे। उपबंधित है कि ग्रामसभा को जरूरी लगे तो वह अधिक समय माँगने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद दावे करने के समय को तीन महीनों तक बढ़ा सकती है।

(ख) अपने सामुदायिक वन संसाधनों को निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक तारीख निश्चित करेगी और उसकी सूचना वैसी सटी हुई ग्रामसभा को देगी जहाँ दोनों के क्षेत्र एक दूसरे पर पड़ते हों (अतिव्याप्ति), और अनुमंडलस्तरीय कमेटी को भी सूचना देगी।

(2) वन अधिकार कमेटी ग्रामसभा को उसके निम्नलिखित कार्यों में सहायता करेगी–

i) निर्दिष्ट फॉर्म में दावों को ग्रहण करना, पावती देना और दावों और ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य (प्रमाण) देना;

ii) दावों और नक्शों सहित साक्ष्य का रिकॉर्ड तैयार करना;

iii) वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तैयार करना;

iv) इन नियमों में बताये अनुसार दावों का सत्यापन करना;

v) विचार करने के लिए ग्रामसभा के समक्ष दावे के स्वरूप और परिणाम पर अपने निष्कर्षों को पेश करना।

(3) वन अधिकार कमेटी प्राप्त प्रत्येक दावे की लिखित पावती देगी।

(4) वन अधिकार कमेटी इन नियमों के उपाबंध (1) में बताये अनुसार फॉर्म – ख में सामुदायिक वन अधिकरों के लिए ग्रामसभा की ओर से दावे भी तैयारी करेगी।

(5) उपधारा (2) के खंड (v) के तहत निष्कर्ष प्राप्त करने पर ग्रामसभा पूर्व सूचना देकर वन अधिकार कमेटी के निष्कर्षों पर विचारा करने, उपयुक्त संकल्प पारित करने और उनको अनुमंडल स्तरीय कमेटी को अग्रसरित करने के लिए बैठक करेगी।

(6) ग्राम पंचायत का सचिव ग्रामसभा के कार्यों को करने के लिए ग्रामसभा के सचिव का काम करेगा।

**नियम 12. वन अधिकार कमेटी द्वारा दावों के सत्यापन की प्रक्रिया :**

(1) संबंधित दावेदार और वन विभाग को बाकायदा सूचित करने के बाद वन अधिकार कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगी –

(क) स्थल पर जायेगी और भौतिक रूप से स्थल पर दावों और साक्ष्य के स्वरूप और परिणाम का सत्यापन करेगी;

(ख) दावेदार और गवाह से और भी कोई साक्ष्य या रिकॉर्ड हो तो उसका ग्रहण करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि पशुचारियों और घुमंतू जनजातियों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए उनके दावे का सत्यापन ऐसे समय किया जाये जब उन समुदायों के व्यक्ति, समुदाय या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहें; उनके अधिकार व्यक्तिगत सदस्यों, समुदायों या उनकी परंपरागत सामुदायिक संख्या के माध्यम से हो सकते हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी आदिम जनजाति समूह या कृषिपूर्व समुदाय के सदस्य

के निवास स्थल के अधिकार को निर्धारित करने के लिए उनके दावे का सत्यापन तब किया जाये जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहें; उनके अधिकारों का निर्धारण उनके समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से हो सकता है;

(ङ) पहचाने जा सकने वाले भूमिचिन्हों को सूचित करते हुए और प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए एक नक्शा तैयार करना।

(2) तब वन अधिकार कमेटी दावे पर उसके निष्कर्षों को दर्ज करेगी और उस पर विचार करने के लिए ग्रामसभा के सामने पेरश करेगी।

(3) अगर दूसरे गाँव की परंपरागत या रिवाजी सीमाओं के साथ परस्पर विरोधी दावे हों या एक से अधिक ग्रामसभाएँ एक वन क्षेत्र का इस्तेमाल कर रही हों तो संबंधित वनसभाओं की वन अधिकार कमेटियाँ ऐसे दावों का उपभोग करने के स्वरूप पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठेंगी और निष्कर्षों को लिखित रूप में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं को सौंपेंगी;

यह उपबंधित है कि अगर ग्रामसभाएँ परस्पर विरोधी दावों का समाधान नहीं कर सकें तो उनके समाधान के लिए ग्रामसभा उनको अनुमंडल स्तरीय कमेटी के पास भेजेगी।

(4) सूचना, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए ग्रामसभा या वन अधिकार कमेटी के लिखित अनुरोध पर संबंधित अधिकारी उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां देंगे, और जरूरी हो तो एक अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण की व्यवस्था करेंगे।

## कार्रवाई के बिन्दु :

- **नक्शा तैयार करने का काम शुरू कीजिए।**
- **अधिकारों के दावेदारों के नियंत्रण में स्थित भूमियों के एक अनुमान के साथ उनकी सूचियाँ तैयार कीजिए।**
- **कोई भी लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक या अमीन वन क्षेत्रों और कृषि/वास्तु भूमियों को दर्शाते हुए भू-उपयोग के नक्शे तैयार कर सकता है।**
- **अधिकारों की सूची बनाइये। यह निर्दिष्ट कीजिए कि अधिकारों की क्या सीमा होगी (यह ग्रामसभा के लिए है, इसे सूची में शामिल नहीं करना है) उदाहरण के लिए, ग्रामसभा अधिकार धारक परिवार को प्रत्येक महीना बंडल झाड़-झंखाड़ आवंटित कर सकती है।**

- **वैसे प्रत्येक गैर टिंबर वनोपज को सूचीबद्ध कीजिए जिस पर अधिकारों का दावा किया गया है।**

- **नक्शा बनाने का काम शुरू करने के पहले, ग्रामसभा की ओर से स्थानीय पंचायत सदस्यों, संबंधित जनजाति कल्याण अधिकारी, भूमि राजस्व अधिकारी और वन अधिकारी को अनुसूचित कीजिए। इन लोगों को ग्रामसभा के गठन की बैठक के लिए भी सूचित किया जा सकता है। मुख्यतः पंचायत सदस्यों को लक्षित कीजिये और उनको ग्रामसभा द्वारा लिये गये निर्णयों में शामिल कीजिए। इससे अनुमंडलीय एवं जिला कमेटी के बैठकों में उन पर दबाव बना रहेगा। याद रखिए कि वे कमेटियाँ ग्रामसभा की सूचियों और नक्शों के बारे में अंतिम निर्णय लेंगी।**

- **हमें यह सुनिश्चित करने के लिए चौकस रहना पड़ेगा कि वन निवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील लोग कमेटियों में पंचायती प्रतिनिधियों के रूप में भेजे जायें।**

- **साथ ही, स्थानीय जनजाति कल्याण अधिकारियों (अनुमंडल, जिला) को पहले से संपर्क करके विश्वास में लीजिए, उनको ग्रामसभा और संबंधित जंगल पर स्थिति के बारे में सुग्राही (संवेदनशील) बनाने की कोशिश कीजिए।**

## वन अधिकार निर्धारित करने का प्रमाण क्या होगा? नियम कहते हैं कि :

**नियम (1.3) – वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य :**

(1) वन अधिकारों को मान्य करने और निहित करने के लिए दिये जाने वाले साक्ष्यों में कुछ इस प्रकार हैं –

(क) सार्वजनिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड जैसे गजटियर, जनगणना, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की रिपोर्टें, नक्शे, उपग्रह से लिये गये चित्र, कार्य योजनाएँ, प्रबंधन योजनाएँ, लघु (माइक्रो) योजनाएँख वन जाँच रिपोर्टें, अधिकारों के रिकॉर्ड – चाहे जिस नाम से पुकारे जायें, पट्टे या लीज, सरकार द्वारा गठित कमेटियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएँ, सर्कुलर, संकल्प;

(ख) सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मकान कर रसीदें, डोमिसाइल प्रमाण पत्र;

(ग) भौतिक विशेषताएँ, जैसे मकान, झोंपड़ियाँ और जमीन में किये गये स्थायी सुधार, जिनमें समतलीकरण, मेड, चेक बाँध आदि शामिल है;

(घ) न्यायिक कल्प (ववासी जुडिशियल) और न्यायिक रिकॉर्ड जिनमें कोर्ट के आदेश और निर्णय शामिल हैं;

(ङ) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा शोध अध्ययन, रिवाजों का दस्तावेजीकरण और परंपराएँ जो रिवाजी कानून के अनुसार वन अधिकारों के उपभोग को दर्शाती हो;

(च) भूतपूर्व रजवाड़ों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त अधिकारों, विशेषाधिकारों, रियायतों, अनुग्रहों और नक्शों सहित कोई रिकॉर्ड;

(छ) प्राचीनता स्थापित करने वाले परंपरागत ढाँचे जैसे कुएँ, कब्रगाह, धार्मिक स्थल;

(ज) पहले के भूमि रिकॉर्डों में उल्लिखित वंशावली जो व्यक्तियों के वंशक्रम को दर्शाये याा यह दर्शाती हो कि पहले कभी व्यक्ति गाँव के वास्तविक निवासी के रूप में मान्य था।

(झ) दावेदारों को छोड़कर अन्य बड़े-बूढ़ों के वक्तव्य, लिखित रूप में।

(2) समुदायिक वन अधिकारों का कोई साक्ष्य -

(क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे वे जिस नाम से भी पुकारे जायें;

(ख) परंपरागत चारागाह, कंद-मूलों, चाय, जंगली खाद्य फलों और अन्य लघु वनोपजों के संग्रह के इलाके, मछली मारने के स्थल; सिंचाई प्रणालियाँ; मनुष्यों या जानवरों के उपयोग के लिए जल स्त्रोत, जड़ी-बूटी से इलाज करने वालों द्वारा औशधीय पेड-पौधों का संग्रह करने के भूभाग;

(ग) स्थानीय समुदाय द्वारा निर्मित ढाँचों के अवशेष, पवित्र वृक्ष, बनी और तालाब या नदीय क्षेत्र, कब्रगाह या शमशान;

(3) ग्रामसभा, अनुमंडलस्तरीय कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी वन अधिकारों का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त साक्ष्यों में से एक से अधिक पर विचार करेगी।

**नोटः साक्ष्यों की सूची में मौखिक साक्ष्य (देखें उपरोक्त 13.1) सहित कई सारे संभावित साक्ष्य शामिल हैं। अधिकारों का दावा करने के लिए वनभूमि पर दखल और वन के उपयोग का अन्य कोई प्रमाण अपेक्षित होगा।**

**उपरोक्त (2) और (1) में भी अलग से सूचीबद्ध साक्ष्यों का उपयोग सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए किया जायेगा; इन क्षेत्रों का प्रबंध ग्रामसभाएँ करेगी।**

*(2) ग्रामसभा के संकल्प से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उपधारा के तहत गठित अनुमंडल स्तरीय कमेटी को आवेदन कर सकता है और अनुमंडल स्तरीय कमेटी उस पर विचार करेगी और निपटायेगी;*

*लेकिन ऐसा प्रत्येक आवेदन ग्रामसभा द्वारा संकल्प पारित होने के साठ दिनों के अंदर जमा करना होगा;*

*यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई भी आवेदन असंतुष्ट (व्यथित) व्यक्ति के खिलाफ तब तक निपटाया नहीं जायेगा जब तक उसको अपनी बात रखने के लिए समुचित मौका नहीं दिया गया हो।*

*(3) राज्य सरकार ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्पों की जाँच करने के लिए अनुमंडल स्तरीय कमेटी का गठन करेगी जो वनाधिकारों के रिकॉर्ड तैयार करेगी और उसे अंतिम निर्णय के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय कमेटी को अग्रसारित करेगी।*

*(4) अनुमंडल स्तरीय कमेटी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुमंडल स्तरीय कमेटी के निर्णय की तारीख से साठ दिनों के अंदर जिला स्तरीय कमेटी को आवेदन कर सकता है और जिला स्तरीय कमेटी वैसे आवेदन पर विचार करेगी और निपटायेगी;*

*लेकिन कोई भी ग्रामसभा के संकल्प के खिलाफ तब तक सीधे जिला स्तरीय कमेटी को आवेदन नहीं देगा जब तक वह पहले अनुमंडल स्तरीय कमेटी के सामने नहीं रखा गया हो और उसने उस पर विचार नहीं किया हो।*

*यह भी उपबंधित है कि व्यथित व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा आवेदन तब तक नहीं निपटाया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए समुचित मौका नहीं दिया गया हो।*

*(5) राज्य सरकार अनुमंडल स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के रिकॉर्ड पर विचार करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन करेगी।*

*(6) वन अधिकारों के रिकॉर्ड पर जिला स्तरीय कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।*

## अनुमंडल एवं जिला कमेटियों के बारे में, नियम कहते हैं कि –

**नियम 5.**

अनुमंडल स्तरीय कमेटी – राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों को लेकर अनुमंडल स्तरीय कमेटी का गठन करेगी, यथा –

(क) अनुमंडल पदाधिकारी या समतुल्य अधिकारी – अध्यक्ष;

(ख) अनुमंडल का प्रभारी वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी – सदस्य;

(ग) प्रखंड या तहसील स्तर के पंचायतों के तीन सदस्यों को जिला पंचायत द्वारा मनोनीत

(नामनिर्देशित) किया जायेगा जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के होंगे, जिनमें प्राथमिकता वन निवासियों को दी जायेगी, या जो आदिम जनजातीय समूहों के सदस्य होंगे और जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ नहीं होंगी वहाँ प्राथमिकता के रूप में अन्य परंपरागत वन निवासी लिये जायेंगे और एक सदस्य महिला होगी; या संविधान के छँठवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद् या अन्य उपयुक्त आंचलिक स्तर द्वारा तीन सदस्य मनोनीत किये जायेंगे जिनमें से एक महिला होगी, और

(घ) अनुमंडल में जनजाति कल्याण विभाग के प्रभारी अधिकारी या वैसा अधिकारी उपलब्ध नहीं रहने से आदिवासी मालों का प्रभारी अधिकारी।

**नियम 6**

अनुमंडल स्तरीय कमेटी के कार्य - अनुमंडल स्तरीय कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(क) प्रत्येक ग्रामसभा को इस बात की सूचना देना कि संकटग्रस्त और नाजुक पेड़-पौधों एवं जीव-जन्तुओं के संदर्भ में वन्य जीवों, वनों और जैव विविधता की रक्षा के मामले में ग्रामसभा के क्या कर्त्तव्य हैं और वनाधिकार धारकों और दूसरों के क्या कर्त्तव्य हैं;

(ख) ग्रामसभा और वन अधिकार कमेटी को वन एवं राजस्व नक्शे तथा मतदाता सूचियाँ देना;

(ग) संबंधित ग्रामसभाओं के सभी संकल्पों को मिलाना;

(घ) ग्राम सभाओं द्वारा दिये गये नक्शों और विवरणों को समेकित करना;

(ङ) दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और नक्शों की जाँच करना;

(च) किन्हीं वन अधिकारों के स्वरूप और परिमाण पर ग्रामसभाओं के बीच के विवादों की सुनवाई करना और न्याय/निर्णय करना;

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित राज्य एजेन्सियों सहित विभिन्न व्यक्तियों से आवेदनों की सुनवाई करना;

(ज) अन्तर - अनुमंडलीय दावों को निपटाने के लिए अन्य अनुमंडल स्तरीय कमेटियों के साथ समन्वय करना;

(झ) सरकारी रिकॉर्डों के साथ मिलाने के बाद प्रस्तावित वन अधिकारों का प्रखंडवार या तहसीलवार रिकॉर्ड का मसविदा तैयार करना;

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के रिकार्ड के मसविदे के साथ दावों को अंतिम निर्णय के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय कमेटी के पास भेजना;

(ट) अधिनियम और नियमों के तहत बताये गये उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में वन निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाना;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उपाबंध 1 (फॉर्म क और ख) में दिये अनुसार दावेदारों को दावों का प्रोफॉर्मा आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध हों;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि ग्रामसभा की बैठकें मुक्त रूप से खुलकर और निष्पक्षता के साथ संचारित हों और बैठकों में आवश्यक गणपूर्ति हो।

**नियम 7**

जिला स्तरीय कमेटी : राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तरीय कमेटी का गठन करेगी, यथा –

(क) जिला कलक्टर या उपायुक्त – अध्यक्ष;

(ख) संबंधित प्रमंडलीय वन अधिकारी या संबंधित वनों का उपसंरक्षक – सदस्य;

(ग) जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत के तीन सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजाति के होंगे और उनमें वन निवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए या आदिम जनजातीय समूहों के सदस्य हों तो उनको, और जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ नहीं होंगी वहाँ अन्य परंपरागत वन निवासियों से प्राथमिकता के अनुसार सदस्य लिये जायेंगे और एक महिला सदस्य होगी; या जो क्षेत्र संविधन की छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं वहाँ स्वायत्त जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद् तीन सदस्यों को मनोनीत करेगा जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और

(घ) जिला के जनजाति कल्याण विभाग के प्रभारी अफसर या जहाँ वैसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा, वह आदिवासी मामलों का प्रभारी अफसर सदस्य होगा।

**नियम 8**

जिला स्तरीय कमेटी के कार्य – जिला स्तरीय कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगी –

(क) यह सुनिश्चित करना कि नियम के खंड (ख) के तहत जरूरी जानकारी ग्रामसभा या वन अधिकारी कमेटी को दिया जाये;

(ख) इस बात की जाँ करना कि सभी वादे, खासकरद आदिम जनजातीय समूहों, पशुचारियों और घुमंतू जनजातियों के लोगों के वादे अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निपटाये गये हों;

(ग) दावों और अनुमंडल स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के रिकॉर्ड पर विचार करना और अंतत उसका अनुमोदन करना;

(घ) अनुमंडल स्तरीय कमेटी के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों के आवेदनों की सुनवाई करना;

(ङ) अंतर जिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करना;

(च) अधिकारों के रिकॉर्ड सहित प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्डों में वन अधिकारों को शामिल करने के लिए निर्देश जारी करना;

(छ) अंतिम रूप में दिये गये वन अधिकारों के रिकॉर्ड का प्रकाशन सुनिश्चित करना; और

(ज) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के नियमों के उपबंध II और III में निर्दिष्ट रूप से अधिनियम के तहत वन अधिकारों और टाइटिल के रिकॉर्ड की एक-एक प्रमाणित प्रति संबंधित दावेदार और ग्रामसभा को मिले।

**नियम 14. अनुमंडल स्तरीय कमेटी को आवेदन –**

(1) ग्रामसभा के संकल्प से व्यथित कोई भी व्यक्ति संकल्प की तारीख से साठ दिनों के अंदर अनुमंडल स्तरीय कमेटी को आवेदन कर सकता है।

(2) अनुमंडल स्तरीय कमेटी सुनवाई के लिए एक तारीख निश्चित करेगी और सुनवाई की तारीख से दिन पहले लिखित रूप से तथा आवेदनकर्ता के गाँव में एक सुविधाजनक स्थान पर एक नोटिस लगाकर आवेदनकर्ता और संबंधित ग्रामसभा को सूचित करेगी।

(3) अनुमंडल स्तरीय कमेटी आवेदन को अनुमति दे सकती है या ठुकरा सकती है या पुनर्विचार के लिए आवेदन को संबंधित ग्रामसभा के पास भेज सकती है।

(4) ऐसा निर्देश पाने के बाद, ग्राम सभा तीस दिनों के अंदर बैठेगी, आवेदनकर्ता की बात सुनेगी, उस निर्देश पर एक संकल्प पारित करेगी और उसे अनुमंडल स्तरीय कमेटी के पास भेजेगी।

(5) अनुमंडल स्तरीय कमेटी ग्रामसभा के संकल्प पर विचार करेगी और आवेदन को स्वीकार करते हुए या ठुकराते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगी।

(6) लंबित आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हुए, अनुमंडल स्तरीय कमेटी अन्य दावेदारों के वन अधिकारों के रिकॉर्डों की जाँच करेगी और मिलायेगी और उसे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय कमेटी को सौंपेगी।

(7) दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद होने से, किसी एक ग्रामसभा के आवेदन पर या अनुमंडल स्तरीय कमेटी खुद से विवाद का समाधान करने के इरादे से संबंधित ग्रामसभाओं की एक संयुक्त बैठक बुलायेगी और अगर 30 दिनों के अंदर ग्रामसभाओं में आपसी सहमति से कोई समाधान न हो तो अनुमंडल स्तरीय कमेटी संबंधित ग्रामसभाओं की सुनवाई करने के बाद विवाद पर अपना निर्णय देगी और उपयुक्त आदेश जारी करेगी।

**नियम 15 – जिला स्तरीय कमेटी को आवेदन –**

(1) अनुमंडल स्तरीय कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति निर्णय की तारीख से साठ दिनों के अंदर जिला स्तरीय कमेटी को आवेदन कर सकता है।

(2) जिला स्तरीय कमेटी सुनवाई के लिए एक तारीख निश्चित करेगी और सुनवाई की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले लिखित रूप से आवेदनकर्त्ता और संबंधित अनुमंडल स्तरीय कमेटी को इसकी सूचना देगा और आवेदनकर्ता के गाँव में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल पर एक नोटिस लगाकर भी सूचना देगी।

(3) जिला स्तरीय कमेटी आवेदन को स्वीकार या ठुकरा सकती है और संबंधित अनुमंडल स्तरीय कमेटी के पास पुनर्विचार के लिए भेज भी सकती हैं।

(4) ऐसा निर्देश पाने के बाद अनुमंडल स्तरीय कमेटी आवेदनकर्ता और ग्रामसभा की बात सुनेगी और उस निर्देश पर निर्णय लेगी ओर जिला स्तरीय कमेटी को निर्णय की जानकारी देगी।

(5) तब जिला स्तरीय कमेटी आवेदन पर विचार करेगी और आवेदन को स्वीकार करते हुए या ठुकराते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगी।

(6) जिला स्तरीय कमेटी दावेदार या दावेदारों के वन अधिकारों का रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्डों में जरूरी सुधार के लिए जिला कलक्टर या जिला आयुक्त को भेजेगी।

(7) अगर दो या दो से अधिक अनुमंडल स्तरीय कमेटियों के आदेशों के बीच कोई फर्क हो तो, जिला स्तरीय कमेटी खुद से संबंधित अनुमंडल स्तरीय कमेटियों की एक संयुक्त बैठक बुलायेगी ताकि उनके मतभेदों को दूर किया जा सके और अगर उनके बीच आपस में कोई समाधान नहीं निकलता है तो जिला स्तरीय कमेटी संबंधित अनुमंडल स्तरीय कमेटियों की सुनवाई करने के बाद विवाद पर न्याय निर्णय देगी और उपयुक्त आदेशी जारी करेगी।

*(7) राज्य सरकार वन अधिकारों को मान्य और निहित करने की प्रक्रिया का मॉनीटर करने के लिए तथा नोडल एजेन्सी को ऐसे रिकॉर्ड सौंपने तथा उस एजेन्सी द्वारा चाही गयी रिपोर्ट देने के लिए एक राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी का गठन करेगी।*

## राज्य स्तरीय कमेटी के बारे में, नियम कहते हैं कि :

**नियम 9**

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी – राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों को लेकर एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेगी, यथा –

(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(ख) सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य

(ग) सचिव, जनजाति या समाज कल्याण विभाग – सदस्य

(घ) सचिव, वन विभाग – सदस्य

(ङ) सचिव, पंचयती राज – सदस्य

(च) वनों का प्रधान मुख्य संरक्षक – सदस्य

(छ) जनजातीय सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष जनजातीय सलाहकार परिषद् के तीन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मनोनीत करेगा और जहाँ कोई जनजाति सलाहकार परिषद् न हो तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के तीन सदस्यों को मनोनीत करेगी;

(ज) आयुक्त, जनजातीय कल्याण या उसके समतुल्य कोई अधिकारी सदस्य-सचिव होगा।

**नियम 10**

राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी के कार्य : राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगी-

(क) जन अधिकारों को मान्य एवं निहित करने की प्रक्रिया की मॉनीटरिंग के लिए कसौटियाँ और संसूचक तैयार करना;

(ख) राज्य में वन अधिकारों को मान्य करने, सत्यापित करने और निहित करने की प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करना;

(ग) वन अधिकारों को मान्य करने, सत्यापित करने और निहित करने की प्रक्रिया पर एक छमाही रिपोर्ट तैयार करना और नोडल एजेन्सी को सौंपना और एजेन्सी द्वारा चाही गयी जानकारी देना;

(घ) अधिनियम की धारा 8 में बताये अनुसार एक सूचना पाने पर अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाइयाँ करना;

(ङ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत पुनर्स्थापना की मॉनीटरिंग करना।

*(8) अनुमंडल स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और आदिवासी मामलों के विभाग के एक-एक अफसर और उपर्युक्त स्तर पर पंचायती राज संस्था के तीन-तीन सदस्य रहते हैं जिनमें से दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी, जैसा कि विहित है। पंचायती राज के संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित पंचायती राज संस्थाएँ करती हैं।*

*(9) अनुमंडल स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की संरचना और कार्य और उन कार्यों को करने की विहित क्रियाविधि।*

# अध्याय - 5

## अपराध और दंड

**7.** *जहाँ कोई प्राधिकार या कमेटी या अफसर या ऐसे प्राधिकार या कमेटी के सदस्य वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित इस अधिनियम या इसके तहत बनाये गये किसी नियम के उपबंधों को भंग करता है, तब वह या वे इस अधिनियम के तहत एक अपराध के दोषी माने जायेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वे एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किये जा सकते हैं :*

*लेकिन इस उपधारा में बतायी गयी किसी भी बात से प्राधिकार या कमेटी या विभागाध्यक्ष या इस धारा में कहा गया कोई व्यक्ति वैसी स्थिति में दंड का दायी नहीं होगा अगर वह प्रमाणित करे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुई है या उसने ऐसा अपराध होने से रोकने के लिए हर प्रयास किया था।*

**8.** *कोई भी न्यायालय धारा 9 के तहत किसी अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब कोई वन निवासी अनुसूचित जनजाति, किसी ग्रामसभा के संकल्प से संबंधित विवाद के मामले में या ग्रामसभा किसी उच्चतर प्राधिकार के खिलाफ एक संकल्प के माध्यम से राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी को 60 दिनों के अंदर एक नोटिस देगा और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी ऐसे प्राधिकार के खिलाफ कार्रवाई करे।*

# अध्याय - 6

## विविध

**9.** *अध्याय IV में निर्दिष्ट प्राधिकारों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक माना जायेगा।*

**10.** (1) *इस अधिनियम के तहत सद्भाव से किये गये या उस आशय से किये गये किसी भी काम के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।*

(2) *इस अधिनियम के तहत सदभाव से किये गये या उस आशय से किये गये किसी भी*

*बात के लिए अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों सहित* अध्याय IV में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकार के खिलाफ कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

**11.** *आदिवासी मामलों से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय या उसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा।*

**12.** *इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत कर्तव्यों के पालन और प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अध्याय IV में निर्दिष्ट कोई भी प्राधिकार वैसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन होगा जिसे केन्द्र सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे सकती है।*

**13.** *इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित बातों और पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम 1996 के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय लागू अन्य किसी कानून के अतिरिक्त होगा और उसके उपबंधों का अल्पीकरण नहीं करेंगे।*

**14.** (1) *केन्द्र सरकार पिछले प्रकाश की शर्त के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के पालन के लिए नियम बना सकती है।*

(2) *खास करके, पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध बनाये जा सकते हैं, यथा –*

*(क) धारा 6 में निर्दिष्ट कार्यवाही के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी विवरण;*

*(ख) दावे ग्रहण करने की प्रक्रिया, उनको समेकित और सत्यापित करना और धारा 6 की उपधारा (1) के तहत वन अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रत्येक अनुशासित दावे के क्षेत्र को अंकित करने वाला नक्शा तैयार करना और उस धारा की उपधारा (2) के तहत अनुमंडल स्तरीय कमेटी को आवेदन करने की पद्धति;*

*(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के तहत अनुमंडल स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के राजस्व, वन और आदिवासी मामलों के विभागों के अफसरों के स्तर;*

*(घ) अनुमंडल स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की संरचना और कार्य, और धारा 6 की उपधारा (9) के तहत उनके कार्योंनिर्वहन में उनके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया;*

*(ङ) वैसा अन्य कोई विषय जिसे विहित करना है या किया जा सकता है।*

(3) *इस अधिनियम के तहत बनाये गये प्रत्येक नियम को उसके बनने के बाद यथासंभव शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष सत्र चलते समय कुल तीस दिनों तक की अवधि के लिए रखा जायेगा और यह अवधि एक या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी हो सकती है; और अगर उपरोक्त सत्र या सूत्रों के तुरंत बाद के सत्र की समाप्ति के पहले दोनों सदन नियमों में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन होते हैं कि नियम नहीं बनाना चाहिए, तो उसके बाद नियम का प्रभाव उसके संशोधित रूप में होगा या, यथास्थिति, प्रभाव नहीं होगा, इसलिए किसी भी सूरत में ऐसे संशोधन या रद्द करने से उस नियम के तहत पहले किये गये किसी भी चीज की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।*

# आगे का संघर्ष

वन अधिकार अधिनियम पट्टे या अधिकार पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसका संबंध इस बात से है कि हमारे वनों पर कौन नियंत्रण करता है और इस नियंत्रण का प्रयोग कैसे होता है।

सरकार ने अधिनियम में क्या किया है? अगर हम देखें कि किस तरह ग्रामसभा के अधिकार को मूल संयुक्त संसदीय रिपोर्ट की तुलना में बड़े कायदे से कमजोर किया है, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वन प्रबंधन पर सामुदायिक नियंत्रण को खत्म करने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया है। यह सिर्फ वनों पर वन विभाग के नियंत्रण को कायम रखने के लिए विभाग की सुपरिचित इच्छा से प्रेरित एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि यह एक बश्हत्तर योजना का अंग है जिसे हम सरकार द्वारा किये जा रहे बहुत से कार्यों में देख सकते हैं। वनों पर ग्रामसभा का पूर्ण नियंत्रण होने से मुनाफे के लिए वनों पर नजर गड़ाये हुए लोगों के षडयंत्र घोर संकट में पड़ सकते हैं : ये ताकते हैं सामान्य खनन उद्योग, कागज/पल्प उद्योग और पर्यटन उद्योग तथा बाजार के नये पर्यावरण मित्र अवतार कंपनियाँ जिनको जट्रोपा या अन्य प्रकार के जैव ईंधन प्लांटेशन लगाने के लिए वनभूमि की जरूरत है, और वे लोग जो वनों से कार्बन क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं। वैसे तो कुछ ग्रामसभाओं को उनकी योजना पर चलने के लिए खरीदा या धमकाया या फुसलाया जा सकता है, लेकिन बहुत-सी ग्राम सभाएँ अपने अधिकारों में हस्तक्षेप के प्रयासों का प्रतिरोध जारी रखेंगी। न तो सरकार और न ही कंपनियाँ वह चाहती हैं और हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वैसे सभी वन क्षेत्रों में मान्य किये गये अधिकार हासिल करने में समस्याएँ होंगी जिन्हें किसी न किसी परियोजना के लिए मुनाफाखोर पहले से चिन्हित कर चुके हैं।

साथ ही, इस अधिनियम का इस दलील से विरोध किया जा रहा है कि इससे वन नष्ट हो जायेंगे। सरकार ने देश के मौजूदा पर्यावरण संबंधी नियम-कानूनों को बदल डाला है ताकि आसानी से खदानों, कंपनियों, बाँधों और बड़े उद्योग का निर्माण हो सके। इस बीच ***विशेष आर्थिक क्षेत्र*** के लिए और बड़ी निजी कंपनियों को खनन की लीज देने में भारी बढ़ोतरी हुई है।

यह सब इसलिए किया जा रहा है कि देसी निजी कंपनियाँ और वैश्विक पूँजी लोगों की जमीनों और संसाधनों को हड़पकर अत्यधिक मुनाफे कर सकें। पूंजी और बाजार के वैश्वीकरण से लोग

अपने संसाधनों से बेदखल हो जाते हैं और वे सस्ते मजदूरों में बदल दिये जाते हैं ताकि मुनाफाखोरी जब मर्जी उनको काम पर रख सकें और जब मर्जी निकाल सकें। जहाँ लोग प्रतिरोध करते हैं, जैसे कलिंग नगर या नंदीग्राम में, वहाँ यह नहीं हो पाता है, और लोगों की चुनौतियों के सामने पूँजी का प्रहार रूक जाता है। इसलिए सरकार हमेशा लोगों की ताकत को क्षीण करने की कोशिश करती है।

इसी रोशनी में हमें वन अधिकार अधिनियम का मूल्यांकन करना है। सरकार को हमें अधिकार देने की कोई इच्छा नहीं है और जैसा कि हमने शुरू में कहा, सरकार अधिनियम के इस रूप को भी कार्यान्वित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायेंगी।

हमारे संघर्ष का लक्ष्य यह पक्का करना है कि ऐसा न हो। हम पूँजी के हाथों अपनी ज़िंदगियों और संसाधनों को बेचने के इस कार्यक्रम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें वन अधिकार अधिनियम से मिलने वाले औजारों का उपयोग करना होगा, और हमें इस अधिनियम को अधिक ताकतवर बनाने के लिए संशोधन के लिए लड़ना होगा। हम कदम-ब-कदम, वनों और अपनी स्वभूमियों पर शासन करने के अधिकार के लिए लड़ते जायेंगे। यह हमारे संघर्ष का अंत नहीं है : यह तो मात्र शुरूआत है।

## हम अभी क्या करें : संघर्ष और एकजुटता

यह दौर बहुत ही निर्णायक है; इसमें क्षेत्रीय समूहों को जमीन पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से कायम रखने की जरूरत है ताकि लोग अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले वन अधिकारियों पर हावी होने लगें। यह संघर्ष अंतिम लक्ष्य हासिल करने का संघर्ष है, इस संघर्ष के नतीजे से भारतीय वनों का भविष्य तय होगा। कौन हावी होगा - वन जन, वन विभाग या कंपनियाँ? हमें जमीन पर अपने अभियान को जोरदार बनाने की जरूरत है, इसमें सारी ताकतें लगाना होगा।

अभी स्थिति हमारे लिए थोड़ा अनुकूल है। इस बात के बावजूद कि पारित यह कानून संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट का काफी बिगाड़ा हुआ रूप है और इसके नियम सतही और अपूर्ण हैं, फिर भी इसका रणनीतिगत रूप से उपयोग करना होगा। अधिनियम का नाम स्पष्ट रूप से वन जनों के अधिकारों को मान्यता देता है ओर यह समुदायों को वन के शासन में एक राजनैतिक स्थान देता है। हमें अपने दावे करने और दोनों वन की वर्तमान सत्ता और वनों में बड़े जोर से प्रवेश कर रही पूँजी की ताकतों को चुनौती देने में यह एक महत्वपूर्ण हथियार का काम करेगा। वनों में जनविरोधी दूसरी ताकतें भी सक्रिय हैं - कुछ कट्टर वन्य जीव समूह, सामंतवादी ताकतें, व्यापारी आदि; उनको चुनौती देने की जरूरत है। हमें विभिन्न जनविरोधी ताकतों के बीच उभरते हुए नापाक गठबंधन का प्रतिरोध करने और उसे तोड़ने के लिए न

सिर्फ आपस में वन समूहों के बीच असरदार गठबंधन करने होंगे बल्कि हमें सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और मजदूर आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों और आंदोलनों के साथ भी गठबंधन कायम करने होंगे।

## इस दौर में हमारे संघर्ष का मुख्य कार्यक्रम क्या होगा?

(1) एन.एफ.एफ.पी.एफ.डब्ल्यू. के घटक समूह कुछ क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में खाली जमीनों पर फिर से दखल करने में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया को तुरंत जोरदार करना होगा और ऐसे संघर्ष के कार्यक्रमों को दूसरे इलाकों में भी फैलाने की जरूरत है।

(2) प्रत्येक गाँव में ग्रामसभाओं का गठन कीजिए और वन विभाग द्वारा बनाये गये संयुक्त वन प्रबंधन, सामुदायकि वन प्रबंधन आदि जैसे तथाकथित सहभागी ढाँचों को खत्म कीजिए। वन विभाग द्वारा गठिन कमेटियों को यथासंभव विघटित करना होगा और यह हमारे भावी संघर्षों लिए एक बुनियादी जरूरत है।

(3) सामुदायिक वन संसाधनों को सीमांकित करना शुरू कीजिए और उन क्षेत्रों में गैर टिंबर वनोपजों को संग्रह करने और ले जाने के वन विभाग और विभाग द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के अधिकार को चुनौती दीजिए। हम इस अधिनियम की धारा 5 का इस्तेमाल करते हुए हमारे जंगलों के किसी भी भाग में विभाग के टिंबर काटने के कार्यों को भी यह कहते हुए चुनौती दे सकते हैं कि ऐसे कार्यों से जंगल और जैव विविधता नष्ट होगी। इसी प्रकार हम उनके वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी चुनौती दे सकते हैं ओर माँग कर सकते हैं कि ग्रामसभा के साथ सलाह करके ही टिंबर काटने और वृक्षारोपण के कार्य किये जा सकते हैं।

(4) अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले प्रत्येक अनुमंडल और जिले में राजस्व प्रशासन से संपर्क कीजिए। खास करके संबंधित जनजाति कल्याण अधिकारियों से संपर्क कीजिए और उनको सुग्राही (संवेदनशील) बनाइए। इसी प्रकार, ग्राम और अंचल पंचायतों से संपर्क कीजिए और उनको अधिनियम के बारे में समझाइए और बताइए कि क्या करने की जरूरत है। इससे अधिनियम के द्रुत कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।

(5) हमें यह याद रखना होगा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की सरकारी प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो सकती है, और हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम खुद अधिनियम लागू करना शुरू कर दें। इस अधिनियम में दिये गये कुछ अधिकारों को मान्य करने के लिए सरकारी कमेटियों के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, और चूँकि अधिनियम यह स्वीकार करता है कि मान्य करने के पहले से वन अधिकार मौजूद हैं, इसलिए हम अगर इस अधिनियम में दिये गये अपने अधिकारों का प्रयोग करें तो वन विभाग कानूनन हमें रोक नहीं सकता है।

(6) स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर हमारे कार्यक्रम के समर्थक राजनैतिक शक्तियों, सामाजिक

संगठनों और नागरिकों की पहलों से संपर्क करें ताकि हमारे संघर्ष में एकजुटता की जमीन बने। हमें देश में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और असंगठित मजदूरों जैसे अन्य कमजोर समूहों में सक्रिय संगठनों, संगठित मजदूरों के साथ काम करने वाले प्रमुख संगठनों, मानवाधिकार समूहों, शोध एवं संसाधनों द्वारा मदद करने वाले समूहों और सांस्कृतिक समूहों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सलाह मशविरा करने की एक प्रक्रिया आयोजित करने की भी जरूरत है।

वन अधिकार अधिनियम हमें ऐसा संगठन बनाने के लिए औचित्यपूर्ण और मजबूत प्रत्याशा देता है। अब से वन जनों के आंदोलन मात्र वन अधिकारों के लिए नहीं होंगे, बल्कि ये आंदोलन सही माने में एक जनतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र के लिए संघर्षरत आंदोलन होगा जो पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। आज के सम्पन्न लोगों के हित में काम कर रहे अभिजात्यवादी भारतयी राष्ट्र राज्य को दोनों क्रियागत रूप से और वैचारित स्तर पर चुनौती देना होगा और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय सभी प्रगतिशील ताकतों को जोड़ना होगा।

## पुनश्चः सरकार कैसे अधिनियम को कार्यान्वित करती है

हमने पहले बताया कि राज्य लोगों को वन अधिकार सौंपने नहीं जा रही है। जिस प्रकार से विभिन्न राज्य सरकारों ने हाल के महीनों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के काम से निपटा है उससे यह अधिक स्पष्ट हो जाता है। झारखंड ओर उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्यों में, सरकार ने प्रारंभिक कार्यवाही शुरू भी नहीं की है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी तक सरकार प्रक्रिया यथेष्ट नहीं रही है और यह कानून और उसके नियमों की गलत व्याख्याओं पर आधारित रही है। इन सभी राज्यों में कानून को पट्टे हासिल करने के एक औजार के रूप में प्रक्षेपित किया जा रहा है। वन अभिशासन और ग्रामसभाओं के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर किया जा रहा है। सरकार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों पर अपने बड़ी राजस्व स्तर की ग्रामसभाएं कभी भी ढांचे को थोप रही हैं और इसमें इस तथ्य को नजरअंदाज़ कर रही हैं कि बड़ी ग्रामसभाएं कभी भी वन अभिशासकों के रूप में काम नहीं कर सकती है, सामुदायिक वन संसाधनों का सीमांकन असंभव होगा, और विभिन्न वन अधिकारों को कभी भी पूरी तरह सफलतापूर्वक दर्ज नहीं किया जा सकेगा।

जब भारत सरकार ने पहले फरवरी के महीने के अंदर और फिर माच्र के अंदर वन अधिकार कमेटियों के गठन के काम को पूरा करने के लिए सभी राज्य सरकारों को एक निर्थरक सर्कुलर जारी किया था तभी यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि न राज्य सरकारों को और न ही भारत सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन में दिलचस्पी है। कई राज्यों में इसी प्रकार की अंतिम तिथियां मनमाने ढंग से घोषित की गयी थीं। शायद जान बूझकर यह बात भुला दी गयी कि

वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकांश हकदारों और संभावित लाभुकों का इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, वन क्षेत्रों में वास्तविक गाँवों की संख्या और उनकी आबादियों को निर्धारित करने के लिए कोई आधार कार्य नहीं किया गया है, अधिकतर इलाकों में स्थानीय प्रशासन को संबंधित मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की भूमिका वन अधिकार कमेटियों के गठन के लिए शुरूआती कार्यवाही में सिर्फ एक समुदाय के रूप में है; वह यह निर्देशित नहीं कर सकती है कि ऐसी कमेटियां कैसे और किनको लेकर गठित की जायेंगी।

सरकार की ऐसी हड़बड़ी वाली आवांछनीय सक्रियता का नतीजा वही हुआ जो अपेक्षित है; पहला आदेश बुरी तरह असफल रहा। सरकारी अध्किारी शब्दशः लोगों पर पट्टे थोप रहे हैं, बिल्कुल गैरकानूनी आदेश जारी कर रहे हैं; और मनमाने ढंग से दावे दाखिल करने की अंतिम तिथियां घोषित कर रहे हैं। यादृच्छिक रूप से वन अधिकार कमेटियां गठित की जा रही हैं, पंचायत कर्मचारी और सरकारी अधिकारी बगैर सूचना के गाँवों में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि वन अधिकार कमेटियों का गठन करना है।

जहाँ एक तरफ वन अधिकार अधिनियम अफसरशाही में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ 'संरक्षण' एन.जी.ओ. संगठनों की मदद से वन विभाग पूरे देश में नये अधिकार रहित 'व्याघ्र निवास स्थलों' को चिन्हित और अधिसूचित करने का अपना पूर्णतः अवैध कवायत जारी रखे हुए है। कई इलाकों में राज्यों के वन विभाग संबंधित कानूनी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए 'अतिक्रमणकारियों' पर बेदखली की सूचनाएं देना जारी रखे हुए हैं और इस प्रक्रिया के वे इस तथ्य की भी उपेक्षा करते हैं कि सभी वन्य जीव क्षेत्रों सहित हर प्रकार के वन क्षेत्र में जब तक अधिकारों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तब तक ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकतीं।

एक तरफ फैसला करते हुए कि लोग और बाघ एक साथ नहीं रह सकते हैं, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत नवगठित बाघ संरक्षण प्राधिकार के आदेश पर राज्यों के वन विभाग लोगों को बाहर निकलने के लिए रुपयों की गड्डियां देने की पेशकश कर रहे हैं। जहाँ दोनों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (2006 संशोधन) और वन अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पहले 'संकटपूर्ण बाघ निवास स्थलों' और 'संकटपूर्ण वन्यजीव निवास स्थलों' के रूप में अधिसूचित किये जा रहे क्षेत्रों में सभी वन अधिकारों की बंदोबस्ती करना होगा, और ऐसी अधिसूचना जारी करने के पहले उन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों से जानकारी पर आधारित सहमति लेनी होगी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को व्याघ्र क्षेत्रों से 'स्वेच्छापूर्वक' बाहर निकलने के लिए असंभव धन राशियां देने की पेशकश कर रहे हैं। जाहिर है कि यह तथाकथित वन्यजीव क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन की प्रक्रिया को रोकने और लोगों को उनके न्यायोचित तथा मुश्किल से हासिल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का ही एक प्रयास है।

# उपाबंध – 1

**वन में वनग्रामों, पुराने निवास स्थलों, असर्वेक्षित गाँवों और अन्य गाँवों को राजस्व गाँवों में बदलने की कार्यविधि, चाहें वे गाँव अभिलिखित हों या नहीं, अधिसूचित हों या नहीं (जैसा कि एन.एफ.एफ.पी.एफ.डब्ल्यू. ने सुझाया)**

**1.** धारा 3(1) के तहत विहित वन अधिकार के अनुसार वन में वनग्रामों और अन्य पुराने निवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य गाँवों को राजस्व गाँवों में बदलने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों को पात्र माना जायेगा।

- टौंगिया ग्राम सहित वैसे सभी प्रकार के गाँव जिनको वन विभाग ने स्थापित किया और समय-समय पर उनको वन ग्रामों के रूप में मान्य किया गया।
- टौंगिया ग्राम सहित वैसे सभी वन ग्राम जिनको वन विभाग ने अस्थायी रूप से वानिकी और वनभूमि में अन्य कार्यों के लिए स्थापित किया, लेकिन जिनको वनग्रामों के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है।
- नियम माँग होल्डिंग सहित वैसे सभी ग्राम जो समय-समय पर वन विभाग द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के लीजों पर किराये पर देने के फलस्वरूप बने हैं।
- वनभूमि में वैसे सभी गाँव जो किसी सरकारी विभाग/किसी सरकारी विभाग द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार का काम करने के लिए वनभूमि पर बसाये गये मजदूरों से बने हैं, लेकिन उनको गाँवों के रूप में मान्यता नहीं दी गयी, सर्वेक्षण नहीं किया गया और रिकॉर्ड नहीं किया गया। वनभूमि पर वैसा कोई गाँव जिसे 2 (त) में दी गयी परिभाषा के अनुसार 'गाँव' कहा जा सकता है।

**2.** धारा 3(1) के तहत जंगल में वनग्रामों और पुराने निवासों, असर्वेक्षित गाँवों और अन्य गाँवों को राजस्व गाँवों में बदलने के प्रयोजन के लिए, संबंधित गाँव की ग्रामसभा/वन अधिकार कमेटी स्थानीय भू राजस्व विभाग और अनुमंडल स्तरीय कमेटी की मदद से एक विस्तृत नक्शा तैयार करेगी जिसमें गाँव के वर्तमान भू उपयोग को दर्शाया गया होगा। नक्शे में निम्नलिखित बातें रहेंगी :

- कृषि भूमि (जहाँ भी लागू हो), वन और नदियां कितनी दूरी तक फैली हैं और कहाँ हैं।
- सरकार की अनुमति से किये गये अन्य भू उपयोगों (जैसे स्कूल भव, धार्मिक स्थल, खेल के मैदान, सामुदायिक हॉल) का विस्तार और अवस्थान।

- आवासीय भवनों के साथ वासभूमियों का विस्तार और अवस्थान।

3 ग्रामसभा नक्शे के साथ गाँव के सभी व्यस्क निवासियों की एक सूची अनुमंडल कमेटी को सौंपेगी, नक्शे में प्रत्येक निवासी के दखल में स्थित कुल जमीन होल्डिगों का विस्तार, अलग से कृषि लायक भूमि (अगर हो तो) और वासभूमियाँ दिखायी जायेंगी।

4 नक्शा और सूची प्राप्त करने के बाद, अनुमंडल कमेटी और जिला कमेटी संबंधित गाँव के लिए राजस्व गाँव में बदलने के अधिकार को मान्यता देने के लिए जरूरी कदम उठाये जायेंगी और प्रखंड स्तर पर संबंधित भू राजस्व विभाग को एक प्रस्ताव (नक्शा और सूची सहित) दिया जायेगा ताकि गाँव को राजस्व गाँव में बदलने के लिए जरूरी कार्यवाही का प्रारंभ किया जा सके। लेकिन –

- ऐसे बदलाव से बदले हुए गाँव के निवासियों के अन्य अधिकारों में न कोई कटौती होगी और न ही कोई प्रतिबंध; गाँव के उन सभी निवासियों के जोत, जिनके दखल में दिसम्बर, को किसी मात्रा में जमीन थी, ऐसे बदलाव द्वारा नियमित किये जायेंगे।
- यह गाँव के वैसे सभी जनजाति के निवासियों पर और गैर अनुसूचित जनजाति के निवासियों पर लागू होगा जो इस नियम के प्रयोजन के लिए वन निवासी जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी माने जायेंगे।

# उपाबंध – 2

सं.17014/02/2007 – PC&V (जिल्द VII)
भारत सरकार
आदिवासी मामलों का मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
ता. 8 जून 2008

आदिवासी कल्याण के प्रभारी सभी राज्य साथियों के नाम
(जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

**विषयः** अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 2 (ग) और 2 (ण) में आय वाक्यांश 'मूलतः जो वनों में निवास करते हैं और वनों या वन भूमियों पर आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए आश्रित हैं' के निहितार्थ।

महाशय,
आप अवगत हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ग) में 'वन निवासी अनुसूचित जनजातियां' कहीं गयी अभिव्यक्ति का तात्पर्य अनुसूचित जनजातियों के वे सदस्य या समुदाय हैं जो मूलतः वनों में रहते हैं और आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वनों या वन भूमियों पर आश्रित हैं, और अनुसूचित जातियों के पशुचारी समुदाय (भी) उनमें शामिल हैं। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2 (ण) में कही गयी अभिव्यक्ति 'अन्य परंपरागत वन निवासी' का तात्पर्य वैसा कोई समुदाय या उसका सदस्य है जो 13 दिसम्बर 2005 के पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से वन या वन भूमियों में रहा हो और आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन या वनभूमियों पर आश्रित रहा हो।

2. कुछ राज्यों की ओर से इस मंत्रालय से अधिनियम की धारा 2 (ग) और 2 (ण) में आये हुए वाक्यांश '(जो) मूलतः वनों में निवास करते हैं और जो वनों या वनभूमियों पर आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए आश्रित हैं' के निहितार्थों के बारे में यह कहते हुए स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या इसमें ये सभी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परम्परागत वन निवासी शामिल हैं जो भले ही वनों के अंदर नहीं रहते हैं पर अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वनों या वनभूमियों पर आश्रित हैं। 18-19 फरवरी 2008 और 16 मई 2008 को नई दिल्ली में अधिनियम के कार्यान्वयन पर आयोजित राज्यों के जनजातीय कल्याण/विकास विभागों के सचिवों की बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया गया।

3. विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श में इस विषय की परीक्षा की गयी और यह स्पष्टीकरण किया गया कि 'मूलतः' शब्द के प्रयोग का निहितार्थ वैसे अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को शामिल करना है जो वैसे इलाकों में (वनों में या वन भूमियों पर) रहते हों या आजीविका के लिए खुद खेती करने के लिए जिनके भूखंड हों और इसलिए वे मूलतः अस्थायी काम चलाऊ ढांचों में रहते हुए या भूखंडों पर काम करते हुए अधिकतर समय बिताते हों, चाहें उनके निवास गृह वन के बाहर हों या वन भूमि पर।

इसलिए ऐसी जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी, जो जरूरी नहीं कि वनों के अंदर रहते हों किन्तु अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन पर आश्रित हैं। अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (ग) और 2 (ण) में दी गयी 'वन निवासी अनुसूचित जनजातियां' और 'अन्य परंपरागत वन निवासी' की परिभाषा के दायरे में आयेंगे।

4. इसे नोट किया जाये और इसे अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े सभी लोगों को सूचित किया जाये।

प्रतियां प्रेषित :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (सुश्री मीना गुप्ता, सचिव), पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचना हेतु प्रषित।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय (सुश्री कल्पना अवस्थी, निदेशक), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, को सूचना हेतु प्रेषित।

ह०–
(सुनील गर्ग)
(भारत सरकार के अवर सचिव)

# उपाबंध – 3

नियम 6 (ट) देखें,

**प्रारूप – क**

## वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

नियम 27(1) देखें

1 दावेदार (रों) के नाम
2 पति/पत्नी का नाम
3 पिता/माता का नाम
4 पता
5 ग्राम
6 ग्राम पंचायत
7 तहसील/ताल्लुका
8 जिला
9 (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं
(प्रमाणपत्र संलग्न करें)
(ख) अन्य परम्परागत वन निवासी : हां/नहीं
क्या पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं?
(प्रमाणपत्र संलग्न करें)
10 परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बच्चों व व्यस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूपः
1 अधिभोग की गई भूमि का उपयोग
क) निवास के लिए
ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (क) देखें)
2 विवादित भूमि यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें)
3 पट्टे/धर्शतियाँ/अनुदान, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)
4 यथावत पुनर्वास हेतु भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5 भूमि जहाँ से बिना मुआवजा दिये विस्थापित किये गये हैं
(अधिनियम की धारा 4 (8) देखें)
6 वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें)
7 अन्य कोई पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)
8 समर्थन में साक्ष्य
(नियम 31 देखें)
9 अन्य कोई सूचना

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

## प्रारूप – ख
## सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा
## नियम 27 (1) देखें

1 दावेदार (रों) के नाम
(क) एफडीएसटी समुदायःहां / नहीं
(ख) ओटीएफडी समुदायः हां / नहीं
2 ग्राम
3 ग्राम पंचायत
4 तहसील/ताल्लुका
5 जिला

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप

1 सामाजिक अधिकार, जैसे निस्तार, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2 गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3 सामुदायिक अधिकार
क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय) यदि कोई हो
ख) चरने हेतु यदि कोई हो
ग) पारम्परिक संसाधनों तक बंजारों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हो तो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4 पीटीजी व आरम्भिक कृषि समुदायों के लिए पर्यावास और अधिवास की सामुदायिक अवधियाँ, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड.) देखें)

5 जैव विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6 अन्य पारम्परिक अधिकार यदि कोई हो
(अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)

7 समर्थन का साक्ष्य
(नियम 31 देखें)

8 अन्य कोई सूचना

दावेदार (रों) के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

# उपाबंध – 4

नियम 8(3) (ख) देखें

## अधिाभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

नियम 18 देखें

1 वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति-पत्नी सहित)
2 पिता/माता का नाम
3 आश्रितों का नाम
4 पता
5 ग्राम/ग्रामसभा
6 ग्राम पंचायत
7 तहसील/तालिका
8 जिला

9 अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी

10 क्षेत्रफल

11 खसरा/कम्पार्टमेन्ट सं. सहित प्रमुख निशानों द्वारा सीमाओं का विवरण

12 यह भूमि विरासत में मिल सकती है, पर अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है।

हम अधोहस्ताक्षरी, ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त

## सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक
## नियम 12 देखें

1 सामुदायिक वन अधिकार के धारक (कों) का/के नाम
(उपाबंध के अनुसार)
2 ग्राम/ग्रामसभा
3 ग्राम पंचायत
4 तहसील/ताल्लुका
5 जिला
6 अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी
7 सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8 शर्तें यदि कोई हों
9 निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण
रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कम्पार्टमेन्ट सं.
सहित प्रमुख पहचान चिन्ह

हम अधोहस्ताक्षरी, ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त

---

## उपाबंध

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम

1. .....
2. .....
3. .....

हम अधोहस्ताक्षरी, ..... (राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर / उप आयुक्त

# वन अधिकार अधिनियम, 2006

## संघर्ष का एक हथियार


लेखक एवं संकलन

**सौमित्र घोष**

**झारखंड जंगल बचाओ आन्दोलन**

**एवं**

**राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच**

**पता :**
राष्ट्रीय सचिवालय
A-B 1, अभिलाषा अपार्टमेंट
11, पुरुलिया रोड, रांची–834001
फोन : 91-651-2532067
ई–मेल : nffpwnzone@gmail.com

**संपर्क पता :**
B-137, दयानंद कालोनी
लाजपत नगर फेस-IV
नई दिल्ली–110014
फोन : 91-26214538, 26486931
ई–मेल : nffpfwnzone@gmail.com

# विषय सूची


| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन अधिकार अधिनियम : संघर्ष का एक हथियार | 01 – 09 |
| | कैसे उन लोगों ने जंगलों और वन जनों का दम घोटा | |
| | बेदखलियाँ | |
| | विधेयक की ओर : लोग एकताबद्ध होते हैं | |
| | वन अधिकार अधिनियम : संषर्घ जारी है | |
| | देश के हम वन जनों को क्या फायदा हुआ है? हमने क्या खोया है? | |
| 2 | अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपागत वन जन (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 | 10 – 40 |
| 3 | आगे का संघर्ष<br>हम अभी क्या करें : संघर्ष और एकजुटता | 41 – 45 |
| 4 | **उपाबंध : 1** राजस्व गाँवों में बदलने की कार्यविधि | 46 – 47 |
| | **उपाबंध : 2** ''मूलतः वनों में निवास करते हैं और जो वनों या वनभूमियों पर आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए आश्रित हैं'' के निहितार्थ (भारत सरकार का स्पष्टीकरण) | 48 |
| | **उपाबंध : 3** वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप | 49 – 52 |
| | **उपाबंध : 4** अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक के दावे का प्रारूप | 53 – 56 |